रमज़ान मुबारक

المختصر في مسائل الصيام

إعداد :

عطاء الرحمن بن عبد الله سعيدى

संकलनः

अताउर्रहमान अब्दुल्लाह सईदी

مراجعة : أفروز عالم مدني حفظه الله

संशोधक : ***अफ़रोज़ आ़लम मदनी***

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بالأحساء
अल्-अहसा इस्लामिक सेंटर होफूफ
Al-Ahsa Iclamic center
p.o.Box 2022 Al -Ãhsa 31982
फोनः03-5866672फ़ेक्स नः5874664सऊदी अरब

भूमिका

إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صلي الله وسلم عليه وعلي آله و أصحابه و من تبعه الي يوم الدين وبعد

रमज़ान मुबारक का सौम (रोज़ा) इस्लाम का चौथा आधार है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर अनिवार्य तथा फर्ज़ किया है,ताकि हम तक़्वा (अल्लाह से भय) का मार्ग अपनायें, और यह उसी समय हो सकता है जब हमें सम्पूर्ण रूप से रमज़ान तथा सौम (रोज़े) के मसायल का अच्छे प्रकार से ज्ञान हो, बहुत खोजने के बाद मुझे हिन्दी भाषा में इस विषय पर कोई ऐसी पुस्तक प्राप्त न हुई जो प्यास बुझा सके तथा प्रत्येक वर्ष रमज़ान के महीने में बहुत से लोग इस प्रकार की पुस्तक माँगते थे विशेषतः नये मुस्लिम भाई इसी कारण मैं ने अल्लाह से प्रार्थना किया तथा उसकी दया से आज यह पुस्तक आपके हाथों में है ।

इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा में जिस से सभी वर्ग के लोग लाभ उठा सकते हैं रमज़ान तथा रोज़े के मुख्तसर (संछिप्त) मसायल को विश्वसनीय

उलमा की पुस्तकों से इकट्ठा किया है और इखतेलाफी मसायल में शैख इब्ने बाज़, इब्ने उसैमीन, इब्ने तैमिय्यह रहेमहुमुल्लाह की मत को प्रधानता और तरजीह दिया है. इसी प्रकार हदीसों के सही और ज़ईफ़ के बारे में अल्लामह अल्बानी रहेमहुल्लाह की राय पर ऐतेमाद किया है l

साथ ही साथ इस बात का मैं ने पूरा ध्यान रखा है कि कम पढ़े लिखे पुरुष तथा महिला इस से लाभ उठा सकें l

मैं अपने उन सभी भाइयों का आभारी हूँ तथा दुआ़ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन सब के लिए इसे सदकए जारियह (जारी रहनेवाला दान) बनाए तथा संसार और प्रलोक में अच्छे से अच्छा बदला दे जिन्हों ने इसे लोगों तक पुहँचाने में मेरा सहयोग किया है विशेषत : अपने प्रिय मित्र **शैख अफ़रोज़ आ़लम मदनी : दाअ़ी एवं आवाहक : इस्लामिक सेंटर अह्सा** जिन्हों ने पूरी बारीकी से पूरी पुस्तक पढ़ा तथा अपने लाभदायक सलाह एवं सुझाव से सम्मानित किया l और अपनी सपुत्री हमना तथा अपनी वफादार,नेक अपने पति और बच्चों की

हितैषी पत्नी का जिन्हों ने इसके लिखने,हदीसें जमा करने आदि में मेरा अधिक से अधिक सहयोग किया अल्लाह पाक से दुआ है कि वह मेरे इस कर्म को स्वीकार करले तथा इसे मेरे लिये, मेरे माता पिता, मेरे परिवार, अध्यापकों तथा जिन लोगों ने मेरी तालीम व तरबियत में किसी प्रकार की सहायता किया है तथा सभी सहयोगियों के नेकियों में लिख कर नर्क से मुक्ति दे, आमीन |

इस पुस्तक के पढ़ने वालों से अनुरोध है कि वे मुझे और मेरे परिवार को अपने नेक दुआओं में याद रखेगे |

आपका अपना :

अताउर्रहमान पुत्र अबदुल्लाह सईदी

हरहटा,तुलसीपुर,जिला : बलरामपुर,यु.पी.
271208

आवाहक : इस्लामिक सेंटर अहसा,होफूफ
सऊदी अरब

ataurrahmansayeidi@gmail.com

youtube: ata sayeidi

यह पुस्तक

अल्लाह की निकटता प्राप्ति के लिए (विशेष रूप से) इस युग में सबसे शुभ कार्य अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बातों एवं सुन्नतों को सरल तथा आसान शैली में लोगों तक पहुँचाना भी है, ताकि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके और सही ढंग से सुन्नत के अनुसार उपासना कर सके। निःसन्देह सौम (रोजा) एक महत्वपूर्ण उपासना है, अतः इस विषय पर हिन्दी भाषा में एक सरल पुस्तक की अति आवश्यकता को हमारे प्रिय फाज़िल शैख अताउर्रहमान सईदी मदनी हफेज़हुल्लाह ने महसूस किया और अपनी व्यस्तता तथा बीमारी के बावजूद इस पुस्तक का सरल हिन्दी भाषा में संकलन किया, जिसको मैं ने शुरु से अन्तिम तक पढ़ा और मुझे अति लाभदायक लगी, वास्तव में यह पुस्तक वर्तमान युग अनुसार रमज़ान और रोज़े के अधिक्तर आदेश तथा मसले का संक्षिप्त संग्रह है।

क्यों कि इसे कुरआन करीम तथा सही हदीसों और विश्वसनीय उलम-ए-केराम के राजेह मतों अनुसार लिखा गया है | अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह हमारे फाज़िल शैख की इस परिश्रम को स्वीकार लाभदायक बनाए तथा उनके लिए और उनके माता-पिता, गुरुओ तथा समस्त सहयोगियों के लिए सद्क़-ए-जारिया (सदेव पुण्य देनेवाला) बनाये, तथा इस्लाम के प्रचार-प्रसार में लाभदायक साबित करे| आमीन

जिनके भी हाथ यह पुस्तक लगे उन से अनुरोध है कि पढ़कर अपने साथियों को दें हो सकता है उसे भी लाभ हो |

अफरोज आलम मद्नी
दाई़ःअहसाइस्लामिक सेन्टर होफूफ १६- ०६- २०१५ ई०
(सऊदी अरब | a.alam_m@yahoo.com

रमज़ान महीने की प्रमुखतायें

कुर्आन तथा हदीस में रमज़ान के महीने की विभिन्न प्रमुखतायें आईं हैं, हम निम्न में कुछ महत्व पूर्ण प्रमुखतायें लिख रहे हैं।

1- अल्लाह तआला ने लोगों की हिदायत का सामान कुरआन पाक उतारने के लिए सारे महीनों में इसी महीने की मुबारक तथा क़द्र (महत्व) वाली रात को चुना।

अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾(سورة بقرة/١٨٥)

(रमज़ान का महीना वह है, जिसमें कुरआन उतारा गया। जो लोगों के लिए हिदायत (मार्गदर्शक) है, तथा जिसमें हिदायत और हक़ व बातिल (सत्य-असत्य) के बीच अन्तर के स्पष्ट प्रमाण हैं। (सूरह बक़रः-185)

2- इसी महीने में अल्लाह पाक ने दूसरी किताबें भी उतारीं वासिलह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते

हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े रमज़ान की पहली रात में उतारे गये, तौरात 6 रमज़ान तथा इन्जील 13 रमज़ान और कुरआ़न 24 रमज़ान में उतारा गया |) मुस्नद अह़मद, भाग : 4 पेज107 कुछ लोगों ने इस हदीस को जईफ़ कहा हैं मगर अल्लामहअल्बानीरहे़महुल्लाह ने अह़ादीस सहीहः ,1575 में इसकी सनद को ह़सन कहा है,)

3- रमज़ान के महीने में स्वर्ग(जन्नत)के द्वार खोल दिये जाते हैं | नर्क(जहन्नम) के द्वार बन्द कर दिये जाते हैं | शैतानों तथा सरकश जिन्नातों को जकड दिया जाता है | इस महीने में दया तथा रह़मत और आकाश के द्वार खोल दिये जाते हैं | इसी महीने में पुकारा जाता है कि हे भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, हे बुराई चाहने वाले पीछे हट | रमज़ान की हर रात अल्लाह पाक कुछ लोगों को नर्क से मुक्ति करता है |

अबू हुरैरह रज़ियल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया :

إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها

باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

जब रमज़ान की पहली रात होती है : तो शैतान तथा सरकश जिन जकड दिये जाते हैं,और नर्क के द्वार बन्द कर दिये जाते हैं अतः उसका कोई द्वार नहीं खुलता है,और स्वर्ग के द्वार खोल दिये जाते हैं तथा उसका कोई द्वार बन्द नहीं रहता है,पुकारने वाला पुकारता है हे भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ और हे बुराई के चाहने वाले पीछे हट,तथा हर रात अल्लाह तआ़ला कुछ लोगों को नर्क से मुक्त करता है)और बुखारी में है कि (आकाश के द्वार खोल दिये जाते हैं) और सही मुस्लिम में है कि : रहमत के द्वार खुल जाते हैं ।

(इब्ने माजह, सही बुखारी : ह॰न॰1898.सही मुस्लिम, ह॰न॰1899)

यह हदीस पढ़ने के बाद यह प्रश्न आसकता है कि हम रमजान में भी बहुत सारी बुराइयाँ तथा पाप के काम होते हुये देखते है तो अगर शैतानों तथा सरकश जिन्नातो को जकड बन्द कर दिया जाता है तब ऐसा नहीं होना चाहिये ? तो इसका कई उत्तर उलामा ने दिया है :

क - उस(रोज़ादार)सौम रखने वाले पर शैतानो की चाल नहीं चल पाती है जो सौम की शर्तों तथा आदाब का पुरा ध्यान रखता है ।

ख - या केवल सरकश शैतानों को जकडा जाता है सबको नहीं जैसा कि कुछ हदीसों में इसका बयान है ।

ग - या इसका अर्थ है कि इस महीने में पाप तथा बुराइयाँ कम हो जाती हैं और इसे हम महसूस भी करते हैं दूसरे महीनों के हिसाब से लोग रमज़ान में पापों से अधिक बचते है ।

घ - सारे शैतानों को जकडने के बाद बुराइयों के पाये जाने के कारण पापी दिल,बुरी आदतें तथा दुष्ट एवं बुरे मनुश्य भी है क्यों कि हर बुराई तथा पाप की जड शैतान ही नहीं है। (शरहनववी,भाग : 7पेज149,फतहुल्बारी-इब्ने हजर-भाग: 4 पेज 114)

4- रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक लंबी हृदीस में फरमाया है :

(००००००अल्लाह के लिए रमज़ान में एक ऐैसी रात है जो हज़ार महीने से बेहतर है, जो इस रात की अच्छाई तथा भलाई से महरूम (असफल) हो गया तो वह असफल हो गया)-इब्ने माजह,हदीस न॰ 1644,अल्लामह अल्बानी ने सही इब्ने माजहः भाग : 2 पेज159 में इस हदीस को हसन सही कहा है ।

5- रमज़ान के महीने में दुआयें कुबूल होती हैं :

वैसे तो अल्लाह पाक सदेव दुआओं को सुनता और कुबूल करता है प्रन्तु रमज़ान में विषेश रूप से दुआयें कुबूल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : [अल्लाह पाक के पास हर इफतार के समय कुछ लोग नर्क से मुक्त होने वाले हैं तथा यह (रमज़ान)की हर रात में है] (सही इब्ने माजह,भाग : 2 पेज 59)

याद रहे दुआ इबादत है इसलिए हर प्रकार की दुआ मात्र अल्लाह पाक ही से की जायेगी । किसी नबी, रसूल या वली से दुआ करना शिर्क है जो बहुत बडा पाप है । अल्लाह सारे मुसलमानों को शिर्क से बचाये । आमीन

6- रमज़ान का सौम(रोज़ा) पापों को मिटा देता है ।

अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया है : (पाँच समय की सलातें (नमाज़ें) एक जुमा से दूसरे जुमा तक तथा रमज़ान से रमज़ान तक अपने बीच किए हुये पापों को मिटा देता हैं जब बडे पापों से बचा जाये) सही मुस्लिम,हदीस न॰233

7- रमज़ान का महीना बखशिश तथा क्षमादान का महीना है :

अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया है : [जिसने ईमान तथा सवाब के इरादे से रमज़ान का सौम (रोज़ा) रखा तो उसके पिछले पाप क्षमा कर दिए जायेंगें] सही बुखारी,हदीस न॰38सही मुस्लिम हदीस न॰860-

ईमान तथा सवाब के इरादे का अर्थ यह है कि कुर्आन तथा हदीस में सौम(रोज़े)के अनिवार्य (फरज़) होने और उसकी फज़ीलत (प्रमुखता) के बारे में जो कुछ बयान आया है उसकी तसदीक़(पुष्टि) करते हुए अल्लाह पाक से उसका सवाब चाहे तथा अपने सौम में इखलास

(निःस्वार्थता) पैदा करे और सौम के सारे आदाब का ध्यान रखे ।

8- पापों के क्षमा के लिए रमज़ान का महीना सबसे बहुमूल्य समय है :

अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिम्बर पर चढ़े तो आप ने तीन बार कहा आमीन,आमीन,आमीन । आप से पूछा गया हे अल्लाह के रसूल आप इससे पहले ऐसा नहीं करते थे ? आप ने उत्तर दिया : [जिब्रील ने मुझसे कहा कि उस आदमी की नाक धूल मिट्टी से भर जाये जो रमज़ान पाये तथा उसके पाप क्षमा न किये जायें, तो मेंने आमीन कहा । फिर कहा : कि उस आदमी की नाक धूल मिट्टी से भर जाये जिसके सामने मेरा नाम आये और वह मुझ पर दरूद न भेजे ,तो मैंने आमीन कहा ,फिर कहा : कि उस आदमी की नाक धूल मिट्टी से भर जाये जो अपने माता पिता या उन्में से किसी एक को पाये और स्वर्ग में न दाखिल हो सके, तो मैंने आमीन कहा]-अल्लामह अल्बानी ने सही अदबुल्

मुफरद में हसन और सही कहा है-तथा इसकी असल सही मुस्लिम में ह॰न॰2551में है l

9- उमरह

सवाब में रमज़ान का उमरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग हज्ज के बराबर है : अल्लाह के रसूल ने उम्मे सिनान से फरमाया था [रमज़ान का उमरह हज्ज के बराबर या मेरे संग हज्ज के बराबर है] बुखारी,1782 मुस्लिम,1256)

10- रमज़ान का सौम रखने वाला सिद्दीक़ तथा शहीद में से होगा :

अमर बिन मुर्रह जुहनी कहते हैं कि : कुज़ाअह कबीले का एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया ,और उसने आप से कहा ! हे अल्लाह के रसूल,अगर मैं गवाही दूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई इबादत के लायक़ नही,और आप अल्लाह के रसूल हैं,तथा पाँच समय की सलातें(नमाज़ें) अदा करूँ, ज़कात दूँ,रमज़ान का सौम रखूँ तथा तरावीह पढ़ूँ तो मैं किन लोगों में से हूँगा ? आप ने फरमाया :(सिद्दीक़ तथा शहीदों में

से)-इब्नेखुज़ैमह ह॰न॰2212- अल्बानी रहैमहुल्लाह ने सही इब्नेखुज़मह भाग : 3 पेज 340 में हसन कहा है ।

11- रमज़ान का महीना सखावत, फय्यज़ी और दानशीलता का महीना है :

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सबसे अधिक फय्याज़ थे और रमज़ान में जब जिब्रील आप से मुलाक़ात करते तो आप की फय्याज़ी बढ़ जाती आप रमज़ान में दया भरी हवा से भी अधिक फय्याज़ हो जाते । मुस्लिम-ह॰न॰2308-

इसके अतिरिक्त रमज़ान के महीने की अनेक फ़जी़लतें तथा खुसूसियतें हैं ।

सियाम(रोज़ों) की प्रमुखतायें (फजी़लतें)

अल्लाह पाक ने सौम (रोज़े)जैसे अहम इबादत की बहुत सारी फज़ीलतें तथा खुसूसियतें बयान किया है हम निम्न में उदाहरणस्वरूप कुछ फज़ीलतें लिख रहे हैं अल्लाह पाक हम सब को इस इबादत के अदा करने की तौफीक़(क्षमता)दे आमीन ।

1- सौम (रोज़ह) अल्लाह के तक़्वा एवं भय के साधनों में से एक बलिष्ट साधन है । अल्लाह पाक ने फरमाया :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(ऐ ईमानवालो ! तुम पर सौम(रोज़े) अनिवार्य तथा फर्ज़ किये गये,जिस प्रकार से तुम से पहले लोगों पर अनिवार्य किये गये थे, ताकि तुम तक़्वा(अल्लाह से भय) का मार्ग अपनाओ - [सूरह बक़रहः183]

2- सौम(रोज़ह) मुसलमान के लिये बेहतर है अल्लाह पाक ने फरमाया :

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(परन्तु तुम्हारे पक्ष में उचित कर्म सौम(रोज़े) रखनाही है यदि तुम जानते हो । [सूरह बक़रह-184]

3- सौम(रोज़ह) अल्लाह की बखशिश(क्षमादान) और अधिक सवाब प्राप्त करने का बलिष्ट साधन है । अल्लाह पाक ने फरमाया :

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }

(निःसंदेह मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें, इतातअत (आज्ञापालन) करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें,सच्चे मर्द और सच्ची औरतें,सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें,विनती करने वाले मर्द और विनती करने वाली औरतें,दान(सदक़ा)करने वाले मर्द और सदक़ा करने वाली औरतें, रोज़े(ब्रत)रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें,अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह की हिफाज़त करने वाली औरतें, और बहुत ज्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाले और वालियाँ,इन सब के लिए अल्लाह ने बड़ी मग़फिरत(क्षमादान) और बड़ा अज्र (पुण्य)तैयार कर रखा है। [सूरह अह्ज़ाब-35]

4- सौम नर्क से बचने के लिए ढ़ाल और मज़बूत क़िला है l

وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار

(नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : रोज़े ढ़ाल एवं बचाव है जिस से आदमी नर्क से बचाव करेगा l

मुस्नद अह़मद,अल्बानी रहेमहुल्लाह ने सही तरग़ीब व तरहीब में हसन कहा है,ह०न०981)

5- सौम शहवत(काम-वासना) से बचने के लिए ढ़ाल है l

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(متفق عليه)

(अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम लोगों से फरमाया : ऐ नवयुवको तुम में से जो विवाह करने की शक्ति रखता है वह विवाह करे,क्यों कि यह निगाह को अधिक नीची रखने वाली,शर्मगाह की

अधिक हिफाज़त करने वाली है | और जो शक्ति नहीं रखता वह सौम(रोज़ा)रखे क्योंकि(रोज़ा) शहवत(काम-वासना)को तोड़ देने वाला है) (बुखारी,ह॰न॰1905-मुस्लिम,ह॰न॰1600)

6- अल्लाह के मार्ग में एक दिन का सौम(रोज़ा) नर्क से सत्तर वर्ष दूर कर देगा |

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا(متفق عليه)

(अबू सअ़ीद खुद्री कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि : जिसने अल्लाह के मार्ग में एक दिन का सौम(रोज़ा)रख तो अल्लाह तआ़ला उसके चेहरे को नर्क से सत्तर वर्ष दूर कर देगा |)(बुखारी,ह॰न॰ 2840 मुस्लिम,ह॰न॰1153)

7- सौम(रोज़ा)नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वसिय्यत है तथा इस के बराबर कोई चीज नहीं है |

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ (سنن نسائي)

(अबू उमामः कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा कि आप हमें स्वर्ग में दाखिल करने वाले अ़मल एवं कर्म के बारे में बतायें ? तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : तुम सौम(रोज़ा)रखो क्योंकि उसके बराबर कोई चीज़ नहीं(सही तरग़ीब व तरहीबः भाग : 1पेज580-)

एक शिक्षा एवं उपदेश भरी कहानी :-

अबू उमामः ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेना एक का एक दल तैयार किया तो मैं आप के पास आकर कहा : हे अल्लाह के रसूल! आप मेरे लिए अल्लाह से शहादत (वीरगति) की दुआ़ फरमायें, तो आपने दुआ़ की-ऐ मेरे अल्लाह तू इनकी हिफाज़त (रक्षा)कर और इन्हें माले ग़नीमत (शत्रुधन) दे-तो हम लोगों ने धर्मयुद्ध किया और सुरक्षित भी रहे तथा माले गनीमत भी मिला,कहते हैं कि फिर मैं आप सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम के पास आया और निवेदन किया कि हे अल्लाह के रसूल!मैं लगातार तीन बार आप के पास आया ताकि आप हमारे लिये शहादत की दुआ़ फरमादें तो आपने कहा की-ऐ मेरे अल्लाह तू इनकी हिफाज़त कर और इन्हें माले ग़नीमत(शत्रुधन) दे- तो हम महफूज़ भी रहे तथा हमें माले गनीमत भी मिला,अब आप हमें ऐसे अ़मल तथा कार्य की रहनुमाई करें जिस से मैं स्वर्ग में दाखिल हो जाऊँ । तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा : तुम सौम(रोजे)रखा करो क्यों कि इसके समान कोई चीज नहीं-उसी समय से अबू उमामः के घर में दिन में धुवाँ नहीं दिखता था सिवाये इसके कोई उनके घर मेहमान आजाये,और जब लोग दिन में उनके घर धुवाँ देखते तो जान जाते कि उनके यहाँ कोई मेहमान आया है ।

(सही तरग़ीब व तरहीबः भाग : 1 पेज 580-)

8- सौम स्वर्ग में दाखले का एक बडा साधन है

एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ! तुम में से किसने आज सौम (रोज़ा)रखा ? अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा

मैंने,फिर पूछा आज तुम में से किसने जनाज़ः में भाग लिया ? अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैंने,फिर पूछा,आज तुम में से किसने मिस्कीन(कंगाल) को खाना खिलाया ? अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैंने,फिर पूछा, तुम में से किसने आज बीमार का हाल चाल लिया ? अबूबक्र ने कहा मैंने,तो रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : किसी दिन भी जिस आदमी में यह खूबियाँ इकट्ठा होंगी वह स्वर्ग में दाखिल होगा (सहीह अदबुल मुफ़रद-पृ : 195-)

9 - सौम गुनाहों को मिटा देता है ।

रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

श्रआदमी का अपने परिवार,धन ,पुत्र और पडोसी के बारे में फितने से दोचार होने को सलात, सौम, सदक़ा. भलाई का निर्देश देना बुराई से रोकना (जैसा नेक कार्य) मिटा देता है) (मुत्तफक़ अलैह)

10- सौम(रोज़ा) का फल अल्लाह ही देगा l

11- सौम(रोज़ा)रखने वालों को बे हिसाब फल मिले गा l

12- सौम(रोज़ा)रखने वालों को दो प्रसन्नता प्राप्त होगी एक संसार में एक प्रलय के दिन l

13- सौम(रोज़ा)रखने वालों के मुंह की बदबू अल्लाह तआ़ला के यहाँ मुश्क से भी अधिक खुशबू दार है l

क्योंकि यह अल्लाह ही जानता है कौन सौम से है इसमे दिल से दिखावा नहीं पाया जाता ,यह अल्लाह तथा बन्दे के बीच भेद है,अल्लाह सौम को पसन्द करता है,सौम संसार तथा आखिरत की खुशनसीबी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुद्सी में फरमाया :

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ

الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

(नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया : आदम की संतान का हर कार्य उसके लिये है सिवाये सौम(रोज़ा) के क्योंकि यह मेरे लिए है तथा मैं ही इसका फल दूँगा। सौम(रोज़ा) नर्क से बचाने का सामान है। तो जब तुम में से कोई सौम (रोज़ा)रखे तो बुरी बात न बोले और न ही पत्नी से मिलाप(सहभोग)करे,न चीखे चिल्लाए, झगड़ा लड़ाई न करे, और अगर उससे कोई झगड़ा करे या गाली गुलूज करे तो वह यह कहे कि मैं सौम(रोज़ा) से हूँ, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की जान है!सौम (रोज़ा) रखने वाले के मुंह की बदबू अल्लाह के यहाँ मुश्क से भी अधिक खुशबूदार है,सौम(रोज़ा) रखने वाले को दो खुशी होती है, जब वह इफ्तार करता है तब और जब अपने अल्लाह से मिले गा तो वह अपने सौम से खुश होगा। (मुत्तफ़क़ अलैह)

14-सौम(रोज़ा)तथा कुरआन दोनों कियामत के दिन सिफारिश(अनुशंसा)करेंगे ।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः सौम(रोज़ा)तथा कुरआन दोनों कियामत के दिन बन्दे के लिए सिफारिश(अनुशंसा)करेंगे सौम (रोज़ा) कहेगा ऐ मेरे रब मैं ने इसे खाने तथा शहवत (काम-वासना) से रोक दिय था तो इसके बारे में मेरी सिफारिश स्वीकार कर,कुरआन कहेगा मैं ने इसे रात में सोने से रोक दिया था तो इसके बारे में मेरी सिफारिश स्वीकार कर । आप ने फरमाया दोनों सिफारिश करेंगें (सही तरगीब व तरहीब भाग : 1 पेज 579 (हसन सही)

15-सौम(रोज़ा) रखने वालों के लिए स्वर्ग में जाने के लिए प्रमुख दरवाज़ा है ।

عن سهل رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم

القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد)
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्माया : स्वर्ग में एक दरवाज़ः है जिसका नाम रय्यान है जिस से प्रलय के दिन केवल सौम(रोज़ा)रखने वाले ही जायेंगें उनके अतिरिक्त कोई उस से नहीं जा पाये गा कहा जायेंगा कहाँ हैं सौम(रोज़ा)रखने वाले तो वह तय्यार हो जायेंगें और जब सभी सौम(रोज़ा) रखने वाले दाखिल हो जायें गें तो बन्द कर दिया जाये गा | (बुखारी व मुस्लिम)

अल्लाह पाक हमें नेक लोगों ,अपने परिवार तथा माता पिता के साथ र्स्वग में रय्यान से प्रवेश करने का अवसर दे | आमीन

सौम(रोज़ा) के लाभ

निःसंदेह सौम(रोज़ा)अल्लाह से डरने वालों के लिए लगाम,सैनिकों के लिए ढ़ाल, सदाचारों के लिए परिश्रम और सारी इबादतों के प्रकार अल्लाह की विशेष इबादत है | सौम(रोज़ा)रखने वाला अपनी मन पसन्द चीज़ें अल्लाह की प्रसन्नता के लिए छोड़ देता है | सौम(रोज़ा)बन्दे तथा अल्लाह के बीच एक

भेद है जिसे अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता और यही सौम(रोज़ा)की वास्तविकता(हक़ीक़त)है अल्लाह ने सौम(रोज़ा) को अपने बन्दों पर दया करते हुए उनके असंख्य लाभ के लिए अनिवार्य किया है हम निम्न में सौम(रोज़ा) के कुछ मुख्य लाभ लिख रहें हैं।

1- सौम(रोज़ा) अल्लाह के भय का साधन है।

2- सौम(रोज़ा)अल्लाह के कृपा के आभार अदा करने का साधन है।

3- सौम(रोज़ा)हर पाप से बचने तथा विशेष रूप से विषयवासनाओं (नफसानी ख्वाहशात)के नियंत्रण का साधन है।

4- सौम(रोज़ा)दिल में कंगालों ,निर्धनों के बारे में दया तथ अल्लाह की दया का एहसास पैदा करता है और दिल अल्लाह के जिक्र व अज़्कार के लिए खाली रहता है।

5- सौम(रोज़ा) बन्दे में सब्र(सन्तोष)जैसी अच्छाई पैदा करता है।

6- सौम(रोज़ा) अच्छा स्वस्थ्य प्रदान करता है। आदि

(सौम)रोजा का अर्थ :

अरबी भाषा में सौम (रोजह) का शाब्दिक अर्थ रुकना है,और शास्त्रीय परिभाषा(शरअ़ी इस्तिलाह़) में सुबह सादिक़ (प्रत्यूष)से लेकर सूर्य के डूब जाने तक अल्लाह पाक की नज़दीकी (निकटता)प्राप्त करने के लिए इबादत तथा उपासना के इरादे से खाने पीने, औरतों से हमबिस्तरी(सहभोग)तथा सौम (रोजह) तोड देने वाली अन्य चीज़ों से रुकने तथा बचने को (सौम)रोजह कहते हैं ।

रमज़ान के महीने के (सौम)रोजा का हुकुम ।

कुरआन व हदीस और उम्मत के इजमा (सहमति) से साबित है कि हर बालिग़, बुद्धिमान, सौम रखने की शक्ति रखने वाले, निवासी(मुक़ीम),सौम की धार्मिक रुकावट से खाली मुसलमान मर्द तथा औरत पर पूरे महीने का सौम(रोजह) अनिवार्य तथा फर्ज़ है । और यह इस्लाम का चौथा रुक्न तथा

आधार है,जिसके बिना इस्लाम बाकी नहीं रह सकता ।

अतः अगर कोई आदमी इसके अनिवार्य तथा फ़रज होने को नकारे तो वह काफिर हो जायेगा और अगर कोई बिना शरअ़ी कारण के इससे लापरवाही करे तो वह अल्लाह के प्रकोप तथा नर्क का हकदार होगा इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है,अल्लाह ने फरमाया :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ البقرة: ١٨٣

[हे ईमान वालो तुम पर(सौम)रोजे अनिवार्य किये गये हैं जिस प्रकार से तुम से पहले लोगों पर अनिवार्य किये गये थे ताकि तुम तक़्वा का मार्ग अपनाओ] (सूरह बक़रः-183)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[रमज़ान का महीना वह है,जिस में क़ुरआन उतारा गया है । जो लोगों के लिए हिदायत तथा

(सत्यासत्य)हक़ और बातिल के बीच (निर्णायक) फ़ैसेला करने वाला है ,तुममें जो भी इस महीने को पाए, उसे (सौम)रोजह रखना चाहिये, हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिन्ती तथा गणना पूरी करनी चाहिए अल्लाह की इच्छा तुम्हारे साथ सरलता की है, कठोरता की नहीं, वह चाहता है कि तुम गणना पूरी कर लो, और अल्लाह के प्रदान किये गये (मार्गदर्शन) हिदायत के अनुसार उसकी (महिमा)बड़ाई का शुक्र वर्णन करो एवं उसके आभारी रहो] (सूरह बक़र:185)

हदीस शरीफ में है कि :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : इस्लाम के आधार पाँच चीज़ों पर है, इस बात की गवाही देना कि

अल्लाह तआ़ल के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं तथा मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं,सलात (नमाज़)क़ायम करना, ज़कात देना,रमज़ान के महीने का सौम(रोज़ह) रखना,कअ़बा का हज्ज करना (सही बुखारी, सही मुस्लिम)

इस लिए बिना किसी दीनी उज़र(कारण)के सौम (रोज़ह) छोड़ देना बड़ा पाप है तथा ऐसे मुसलमान के लिए हदीस की किताबों में बड़ी धमकियाँ आई हैं ।

عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا ، فَقَالا لِي : اصْعَدْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لا أُطِيقُهُ ، فَقَالا : إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ ، إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ ؟ " قَالُوا : هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَؤُلاءِ ؟ " قَالَ : هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ . "

अबू उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फरमायाः मैं सोया हुवा था कि मेरे पास अचानक

दो आदमी आये और मेरे बाज़ू को पकड़ कर ऐसे पहाड़ पर ले गये जिस पर चढ़ना आसान नहीं,दोनों ने हमें उस पर चढ़ने का आदेश दिया,मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता.दोनों ने कहा मैं तुम्हारे लिये चढ़ना आसान कर दूँगा.अतः मैं पहाड़ के ऊपरी भाग पर चढ़ा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी.तो मैं ने इन आवाज़ो के बारे में पूछा ? दोनों ने बतलाया कि यह जहन्निमियों(नर्कियों) की चीख है .फिर दोनों हमें ले कर चले तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास पहुँचा जो अपने पैर के रगों में बंधे लटके थे.उनके जबड़े फटे थे.जिन से खून बह रहा था,मैंने प्रश्न किया यह कौन हैं ? उत्तर मिला यह वह लोग हैं जो समय होने से पहले इफ्तार करते थे |(सही तरग़ीब. अल्बानी.भाग : 1 पेज 588.)

इमाम ज़हबी रहेमहुल्लाह ने फरमाया है : मोमिनों के यहाँ यह बात साबित है कि जो कोई बिना शरई उज़र रमज़ान का सौम (रोज़ह) छोड़ दे वह ज़ना करने वाले तथा दारू पीने वाले से बुरा

है.मोमिन लोग उसके इस्लाम के बारे में शंका करते हैं तथा उसे जिन्दीक़ समझते हैं ।
इमाम इब्ने तैमियह रहेमहुल्लाह कहते हैंः अगर कोई हलाल समझ कर रमज़ान का रोज़ह छोड दे जबकि वह इसे ह़राम होने को जानता है तो उसका क़तल वाजिब है तथा अगर वह फासिक़ है तो उसे रमज़ान में सज़ा दी जायेगी । (मजमूअ़ फतवा . इब्ने तैमियह.25-265)

सौम(रोज़ा)कब (अनिवार्य) फर्ज़ हुआ ?

रमज़ान के महीने का सौम(रोज़ा) दो हिजरी मदीनः में फर्ज़ हुवा तथा नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुल 9 रमज़ान सौम(रोज़ा)रखा ।

रमज़ान महीना आरंभ होने का सुबूतः

1- किसी ऐक ऐसे मुसलमान आदमी का रमज़ान के महीने का चाँद देखना जो फ़र्ज़ का पाबन्द हो. बड़े पापों से बचता हो ,छोटे पापों पर जमा न रहता हो.(शरहुल मुमतेअ भाग : 6पेज 323)

2- या किसी एक अधिक विश्वसनीय (एतिमाद के लायक़) आदमी से चाँद निकलने की सूचना मिल जाना ।

3- अगर चाँद न देखा गया हो और न ही चाँद देखने की एतेमाद के लायक़ किसी मुसलमान की गवाही मिले तो शअ़बान के तीस दिन पुरे किये जायें । इस प्रकार रमज़ान का महीना प्रारंभ होना साबित होगा । इसी प्रकार रमज़ान का महीना समाप्त उस समय होगा जब शव्वाल का चाँद दिखाई दे या दो एतेमाद वाले गवाही दें या फिर रमज़ान के तीस दिन पूरे किये जायें ।हदीस में है :

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يوما(متفق عليه)

[चाँद देख कर सौम(रोज़ा)रखो तथा चाँद देख कर इफ्तार करो यदि अगर तम्हारे ऊपर बादल छा जाए तो शअ़बान के दिनों की संख्या तीस पूरी करो] (मत्तफ़क़ अ़लैह)

तथा सुनन नसई में है : [यदि दो गवाही देने वाले गवाही दें तो सौम(रोज़ा)रखो और इफ्तार करो] (सही नसई2,909)

प्रश्न : क्या रमज़ान के महीने के साबित होने के बारे में महिला की गवाही मानी जाएगी ?

उत्तरः शैख इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अ़लैह के यहाँ नहीं मानी जाए गी क्योंकि यह पुरुषों का काम है महिला का काम नहीं पुरुष ही इसके विषय में अधिकज्ञान रखते हैं । (मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़-भाग 15 पेज 62)

प्रश्न : अकेला चाँद देखे वाला क्या करे ?

उत्तर : जो अकेले चाँद देखे वह चाँद क़ानूनी अदालत को अपने चाँद देखने की सूचना दे, अगर जज उसकी गवाही मान ले तो रमज़ान के महीना का शुरू होना साबित हो जाएगा, प्रन्तु अगर उसकी गवाही न मानी गई तो कुछ उलमा कहते हैं उसे रोज़ा रखना पड़ेगा क्यों कि उसे चाँद देखने का यक़ीन होगया,अतः हदीस में हैः(चाँद देख कर रोज़ा रखो)(सही बुखारी : ह॰न॰1909) तथा कुछ उलमा कहते हैं कि वह रोज़ा नही रखेगा क्यों कि रोज़ा उस दिन है जिस दिन सारे लोग रोज़ा रखें, और लोगों के साथ रोज़ा रखना अकेले रोज़ा रखने से बेहतर है । और कुछ उलमा कहते हैं कि वह अकेले चुपके से रोज़ा रखेगा क्यों कि उस ने चाँद देखा

है,और चुपके से इस लिए ताकि जमाअ़त की मुखालिफत न हो।(फ़िक़्हुल् इबादात : इब्ने उसयमी,284)

हर महीने का चाँद देखने के बाद हमें यह दुआ़ पढ़नी चाहिये :

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ(سنن ترمذي)

अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अ़लैना बिल्युम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह (तिरमिज़ी.ह०न०3451)

हे मेरे अल्लाह तू इसे हमारे ऊपर बरकत. ईमान.सलामती तथा इस्लाम के साथ निकाल, हमारा तथा तुम्हारा रब अल्लाह है।

रमज़ान के सौम(रोज़ा) अनिवार्य होने की शर्तें यह हैं :

1- इस्लाम 2-बुलूगत(प्रौढ़ता) 3-बुद्धि

4- सौम(रोज़ा) रखने की शक्ति तथा ताक़त रखना

5- निवासी होना 6- रुकावट न होना।

अधिक जानकारी !

1- **इस्लाम।** अतः काफिर का सौम(रोज़ा)सही नहीं होगा | अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نفقاتهم إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ

(कोई कारण उनके खर्च को स्वीकार न होने का इसके अतिरिक्त नहीं कि ये अल्लाह तथा उस के रसूल के नाफरमान हैं) सूरःतौबह.55

हाँ अगर कोई रमज़ान के दिन के किसी भाग में इस्लाम स्वीकार करे तो उलमा के सही फतवा अनुसार उसे उस दिन के बाक़ी समय में रोज़े तोडने वाले कामों से बचना होगा क्यों कि वह उन लोगों में से हो गया जिनके ऊपर रोज़ह अनिवार्य है प्रन्तु उस दिन की कज़ा नहीं करनी पडेगी |

फतावा रमज़ान,अशरफअलमक़्सूद.भागः2 पेज 665, मुग़नी, इब्नेकुदामह. भागः 4पेज 415, शरहुलउमदह इब्नेतैमियह,भाग : 1 पेज41,शरहुल मुम्तेअ़, इब्ने उसैमीन,भाग : 6 पेज333, मजालिसे रमज़ान.पेज70

2- **बुलूगत(प्रौढ़ता)** जब तक बच्चे बालिग़ ना हो जायें उन पर सौम(रोज़ा) अनिवार्य नहीं है | हदीस में है [**तीन प्रकार के लोगों से क़लम उठा लिया गया है,पागल जब तक सही न हो जाये,सोने**

वाला जब तक जाग न जाये तथा बच्चा जब तक बालिग़ न हो जाये।](सुनन अबूदाऊद,ह॰न॰4401)
हाँ बच्चों की आदत डालने के लिए माता पिता को सौम(रोज़ा) रखवाने की कोशिश करनी चाहिए।
बच्चों के बालिग़ होने की तीन निशानियाँ हैं उनमें से जब भी कोई एक निशानी पाई गई तो बच्चा बालिग़ माना जाये गा।

- एहतेलाम (स्वपनदोष)से या जागने की हालत में वीर्य(मनी) निकलना। अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

(तथा तुम में से जो बच्चे बलूगत(वयस्क अवस्या) को पहुँच जायें तो जिस प्रकार उन से पूर्व(बड़े) लोग आज्ञा तथा इजाज़त माँगते हैं, उन्हें भी आज्ञा माँग कर आना चाहिये।) सूरःनूर,59

- नाभी के नीचे खरदुरे बाल उगना।

अतिय्यह कुरज़ी कहते हैं : कि मैं बनू कुरैज़ह के क़ैदियों में से था तो लोग देखते थे,जिसके नाभी के नीचे बाल उग आये थे उसे क़तल कर दिया जाता

था और जिसके बाल नहीं उगे थे उसे छोड़ दिया जाता था .अतः मैं उन लोगों में से था जिसके बाल नहीं उगे थे तो मुझे छोड़ दिया गया। सुनन नसई ह॰न॰343,सहीसुनन नसई. अल्बानी.भाग : 2 पेज477

15 वर्ष को होना। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं: उहुद के दिन युध में मैं 14 वर्ष का तथा तो मुझे युध की अनुमति नहीं मिली और खन्दक़ के दिन मैं 15 वर्ष का था तो मुझे अनुमति मिल गई ,नाफेअ़ बयान करते हैं कि मैं खलीफह उमर बिन अबदुल अ़ज़ीज के पास आया तथा उनसे इस ह़दीस को बयान किया तो उन्हों ने कहाः यह छोटे और बड़ेके बीच हद तथा सीमा है,और सारे गौरनरों को पत्र लिखा कि जो15 वर्ष का हो जाये उसके ऊपर फर्ज़ करें और जो इस से कम हो उसे बच्चों में रखें। (मुत्तफ़क़ अलैह)

बच्ची में ऊपर की किसी एक निशानी के अतिरिक्त चौथी निशानी हैज(मासिक धर्म) का आना है।

3- बुद्धिपागल पर सौम(रोज़ा) अनिवार्य नहीं है। हदीस में है तीन प्रकार के लोगों से क़लम

उठा लिया गया है.पागल जब तक सही न हो जाये,सोने वाला जब तक जाग न जाये तथा बच्चा जब तक बालिग़ न हो जाये ।(सुनन अबूदाऊद,ह॰न॰4401)

अगर कोई कभी पागल रहता है तथा कभी सही तो सही होने की हालत में रोज़ह रखना वाजिब है । इसी प्रकार अगर कोई दिन में कुछ समय पागल या बेहोश हो जाता है तो उसका रोज़ह सही होगा ,और जिस दिन वह बेहोश या पागल हुवा है उस दिन का उसे कज़ा नही करना होगा अगर यह दिन के कुछ समय में हुवा है । (मजालिस शहर रमज़ान,इब्ने उसैमीन.पेज 75)

4- सौम(रोज़ा) रखने की शक्ति तथा ताक़त रखना : जो आदमी शक्ति नहीं रखता उस पर सौम (रोज़ा) रखना अनिवार्य नहीं है । हाँ जब बाद में अगला रमज़ान आने से पहले कज़ा करने की ताक़त पायेगा तो कज़ा करना वाजिब होगा वरना हर दिन के बदले एक कंगाल खिलायेगा । अल्लाह ने फरमायाः

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٤)

हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिन्ती तथा गणना पूरी करनी चाहिये (सूरहः बक़रः184)
यानी अगर रोज़े रखने की ताक़त नहीं है किसी ऐसे कारण से जिसके दूर होने की आशा है जैसे वह रोगी जो रोग जाने की आशा रखता है तो रोग जाने के बाद कज़ा करेगा प्रन्तु जो कदापि आशा नही रखता या वह बूढ़ा जो रोज़ह नही रख सकता तो वह प्रत्येक दिन के बदले ऐक कंगाल खिलाये गा। शरहुल मुमुम्तेअ़, (इब्नेउसैमीन.6-333)

5- निवासी होना। यात्री बाद में कज़ा करेगा। अल्लाह ने फरमाया :
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٤)
हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिन्ती तथा गणना पूरी करनी चाहिये (सूरहः बक़रः184)

6- रुकावट न होना। जैसे महिला के लिए हैज़,निफास ,ऐसी महिला इस हालत में सौम(रोज़ा) नहीं रखेगी बाद में कज़ा करेगी। हदीस में है

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैंः हमें हैज़ आता था तो हमें सौम(रोज़ा)कज़ा करने का आज्ञाँ दिया जाता था और नमाज़ कज़ा करने का आज्ञा नहीं दिया जाता था| (सही मुस्लिम)

एक वज़ाहतः

यात्रा चाहे जिस साधन से हो जैसे मोटर, गाडी. हवाईजहाज.ऊँट,घोड़ा कशती आदि सब को यात्री ही माना जायेगा तथा उन्हें यात्रा के सभी इस्लामी एवं दीनी छूट मिलेगी क्यों कि अल्लाह ने अपने बन्दों के महाप्रलय तक के लोगों लिए यात्रा के अहकाम उतारा है और अल्लाह जानता है कि संसार में किस किस प्रकार तरक़्कीं होगी |

यात्री को सौम (रोज़ा) रखने या ना रखने का इख्तेयार है हाँ अगर यात्रा में सौम (रोज़ा) रखना कठिन ना हो तो रखना अफ़ज़ल है अल्लाह ने फरमाया हैः

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] { البقرة: 184}

(परन्तु अगर तुम में से जो मनुष्य रोगी हो या यात्रा में हो तो वह अन्य दिनों में गिन्ती पूरी कर

ले तथा जो इसकी ताक़त रखता है फिदिया में एक कंगाल तथा ग़रीब को खाना दे फिर जो मनुष्य भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है | प्रन्तु तम्हारे हक़ में बेहतर कर्म सौम यानी रोज़े रखना ही है अगर तुम जानते हो-(सूरह बक़रः184)

अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा आप के सहाबा यात्रा में कभी सौम (रोज़ा)रखते थे और कभी नहीं रखते थे |जैसा कि हदीस में है कि :

عَـــنْ عَائِشَـــةَ: " أَنَّ حَمْـــزَةَ بْـــنَ عَمْـــرٍو الأَسْـــلَمِيَّ قَـــالَ لِلنَّبِـيِّ : أَأَصُـومُ فِـي السَّـفَرِ ؟ - وَكَـانَ كَثِيـرَ الصِّيَامِ - فَقَـالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

(माई आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हम्ज़ह असलमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या में सफर यानी यात्रा में रोज़ा रखूँ? -यह बहुत अधिक रोजा रखते थे-तो आप ने फरमायाः चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो) (सुनन तिरमिज़ी)

और अगर यात्री के लिये बाद में कज़ा करना कठिन हो या बाद में ना रख पाने का डर हो तो सफर में रोजा रखना बेहतर है |

परन्तु जब तेज गरमी हो और यात्री के लिये रोजह रखने में बहुत ही कठिनाई हो तो रोज़ा तोड देगा | हदीस में है

" لـيس مـن البـر الصـيام فـي السـفر ". أخرجـه . البخـاري ٤٤/٢

क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सफर में देखा कि एक आदमी पर लोग छाय किये हुए भीड़ लगाये है तो आप ने पूछा यह क्या है ? लोगों ने कहा रोजादार है, तो आप ने फरमाया यात्रा में सौम रोजा रखना भलाई नहीं है |

सहीबुखारी2/44 देखेंः मजमूअ फतावा व मक़ालात शैख इब्नेबाज़ भाग , 15/236से244

सौम(रोज़ा) के आधार(अरकान)ः

सौम(रोज़ा)के तीन आधार हैं |

पहला रुक्न : नीयतः

अल्लाह के आदेश का आज्ञापालन करते हुए केवल उसी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इखलास के

साथ सौम(रोज़ा)रखने का मन से पक्का इरादा करना। अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

(उन्हें इस के सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें उसी के लिये धर्म को शुद्व(खालिस)कर रखें(इब्राहीमी) एकेश्वरवादी के धर्म पर)(सूरः बय्यिना-5)

तथा नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : [सारे अमल निय्यत पर निर्भर हैं तथा हर आदमी को उसकी निय्यत अनुसार फल मिले गा॰॰॰॰॰] सही बुखारी।

प्रत्येक इबादत में इखलास जरूरी है बिना इस के कोई इबादत कुबूल न होगी।

फर्ज़ तथा अनिवार्य सौम(रोज़ा)की निय्यत फज्र से पहले रात ही में कर लेना आवश्यक है, नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ

[जिस ने फज्र से पहले सौम(रोज़ा)की निय्यत नहीं की उसका सौम(रोज़ा)नहीं होगा] (तिर्मिज़ी)

नफ़ली सौम(रोज़ा) के लिए दिन में नीयत कर सकते हैं अगर फज्र के बाद सौम(रोज़ा)तोड़ने वाले

कामों में से कोई काम न किया हो | इसी प्रकार नफली रोज़ा की निय्यत करने के बाद दिन में तोड़ा भी जा सकता है |

عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل رواه مسلم

माई आ़इशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि : ऐक दिन नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास आये और कहाः क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो हमने जवाब दिया : नहीं , आप ने फरमायाः तो मैं रोज़ह रख लेता हूँ , फिर दूसरे दिन आये तो हमने कहा हे अल्लाह के रसूल ! हमें तुहफे में (हैस) मिला है, आप ने कहा मुझे उसे दिखाओ मैं रोज़ह था,तो आप ने खाया |(सही मुस्लिम.ह॰न॰1154) **हैसः** खजूर ,आटा और घी से मिला कर बनाया जाता है .
(फतावा इब्ने बाज़,भाग : 15 पेज252)

नफ़ली सौम(रोज़ा)की नीयत सूर्य ढलने से पहले भी कर सकते हैं तथा बाद में भी | (शरहुल उमदह,शैखुल् इस्लाम इब्ने तैमियहः भाग : 1 पेज 192) क्यों कि हुजैफ़ह रज़ियल्लाहु अन्हु ने नफली

सौम(रोज़ा)की निय्यत सूर्य ढलने के बाद किया था (शरहुल उमदह -शैखुल् इस्लाम इब्ने तैमियहःभाग : 1 पेज188)

अगर नफ़ली सौम(रोज़ा)की निय्यत रात में किया है तो उसे पूरे दिन के सौम(रोज़ा)का सवाब मिलेगा और अगर दिन में किसी समय निय्यत किया है तो उसी समय से बाक़ी दिन का सवाब मिलेगा क्यों कि हदीस में है कि सारे अमल निय्यत पर निर्भर हैं ।(शरहुल् मुमतेअः भाग : 6 पेज737) इस लिए विशेष दिनों जैसे जुमेरात, अय्यामे बीज(हर अरबी महीने की 13-14- 15 तारीख) शव्वाल के छ दिन सोमवार, अरफा 9 ज़िल्हिज्जह के दिन आदि के सौम(रोज़ा)की निय्यत रात में करना बेहतर है ताकि पूरे दिन का सवाब मिले । (शरहुल् मुमतेअ़ भाग : 6 पेज 373)

याद रहे सारी इबादतों के प्रकार सौम(रोज़ा) की भी निय्यत दिल से की जाएगी क्योंकि निय्यत का स्थान दिल है अतः यह कहना कि नवयतु सौमा ग़दिन मिन रमज़ान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम से साबित नहीं है बल्कि यह ऐसी बिदअ़त है जिस से बचना ज़रूरी है।

इसी प्रकार अगर कोई रमज़ान के शुरू ही में पूरे महीने के सौम(रोज़ा)रखने की नीयत कर ले तो भी काफी है हाँ अगर बीच में किसी कारण सौम(रोज़ा)तोड़ा तो फिर से नियत करेगा और अगर कोई रोजाना नियत करे तो भी कोई बात नहीं।मजमूअ़ फतावा व रसाइल,इब्नेउसैमीन.भागः 19 पेज 176

दूसरा रुक्न- फज्र(प्रत्यूष) उदय होने से ले कर सूर्य डूब जाने तक सौम(रोज़ा) तोड देने वाली सारी चीज़ों से बचना।

जैसे खाना पीना तथा हमबिस्तरी (सहभोग)आदि। अल्लाह तआ़ला ने फरमाया हैः

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

[तुम खाते पीते रहो,यहाँ तक कि प्रातःकाल (प्रातःकालीन प्रकाश) की सुफेदी का धागा अंधकार

के काले धागे(तात्पर्य रात) से स्पष्ट हो जाये | फिर रात तक रोज़े को पूरा करो |](सूरह बक़र:187)

तीसरा रुक्न - सौम(रोज़ा) का समय,यानी पूरा दिन सुबह सादिक(प्रत्यूष) से ले कर सूर्य डूब जाने तक सौम(रोज़ा)का समयय है | अल्लाह पाक ने फरमायाश्रऔर रात तक सौम(रोज़ा) पूरा करोत्त(सूरह बक़र:-187)

सौम(रोज़ा)तोड़ देने वाली चीज़ैं:

1- सहभोग(हमबिस्तरी)रमज़ान के दिनों में बिना किसी धार्मिक बहाने के पत्नी से सम्भोग (हमबिस्तरी) करना हराम है तथा इस से सौम(रोज़ा)टूट जाएगा चाहे अनिवार्य सौम(रोज़ा)हो या नफल | अल्लाह पाक ने फरमाया:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

(रोज़े की रात में अपनी बीवियों(पत्नीयों) से मिलने की तुम्हें इजाज़त है) सूर:बक़र:187

और अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि : हम लोग नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

पास बैठे थे कि अचानक ऐेक आदमी आकर कहने लगा : (हे अल्लाह के रसूल हलाक तथा नष्ट हो गया, आप ने कहाः क्या हुवा? उसने कहाः मैं ने रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से हमबिस्तरी कर लिया०००००००००००) मुत्तफ़क़ अ़लैह

तथा सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक़ (सहमत) है कि रोजे की हालत में रमज़ान के दिनों में हमबिस्तरी और खाना पीना हराम है।

अगर किसी ने रोज़े की हालत में रमज़ान के दिन में पत्नी से जान बूझ कर सम्भोग किया जबकि उसके ऊपर सौम(रोज़ा)अनिवार्य था तो उसका रोज़ह टूट जायेगा तथा उसे तौबह के साथ बाद में कज़ा करना पडेगा और कफ्फारः(पापघ्न) भी देना होगा।

कफ्फारः(पापघ्न)यह है !

क- एक मोमिन गरदन आज़ाद करना अगर यह न मिले तो!

ख- लगातार दो महीने के सौम(रोज़ा) रखना

तथा बिना उज़ुर (जैसे दोनों ईद के दिन,तशरीक़ 11-12-13-ज़िल्हिज्जह के दिन या ऐसा रोग की

सौम(रोज़ा)रखने की शक्ति न हो,बिना रोजा तोड़ने के इरादे से यात्रा, महिला के लिए हैज़ ,निफास आदि) के बीच में सौम(रोज़ा) न तोडे | अगर बिना उज़ुर के एक दिन भी तोड दिया तो फिर से शुरू से रखना होगा | अगर यह न हो सके तो!

ग- साठ 60 मिस्कीन अथवा कंगाल को खाना खिलाना सावा किलो के हिसाब से हर मिस्कीन को अपने शहर का आम खाना खिलाना |

जैसा कि अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि : हम लोग नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक ऐक आदमी आकर कहने लगा :(हे अल्लाह के रसूल मैं हलाक तथा नष्ट हो गया, आप ने कहाः क्या हुवा? उसने कहाः मैं ने (रमज़ान में)रोज़े की हालत में अपनी पत्नी से हमबिस्तरी कर लिया,तो आप ने कहा : क्या तुम ऐक गुलाम आज़ाद कर सकते हो?उसने कहा : नहीं ,आप ने कहा : क्या तुम लगातार दो महीने रोज़ह रख सकते हो?उस ने कहा : नहीं ,आप ने कहाःक्या तुम साठ कंगाल तथा मिस्कीन को खाना खिला

सकते हो? उसने कहा : नहीं ,तो आप ने कहा : बैठो तो वह बैठ गया, हम लोग वहीं थे कि आप के पास बड़े टोकरे में खुजूर लाई गई (अबू दाऊद में है कि 37 किलो 500ग्राम खुजूर थी),तो आप ने फरमाया : प्रश्न करने वाला कहाँ है ? उसने कहा मैं, आप ने कहाः इसे ले जा कर सदक़ा कर दो. उस आदमी ने कहा : क्या अपने से अधिक फ़क़ीर पर ? .हे अल्लाह के रसूल मदीनह में मेरे घर वालों से कोई अधिक कंगाल व फ़क़ीर नहीं है. तो नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हँस पड़े यहाँ तक कि आप के कुचली के दाँत दिखने लगे ,फिर आप ने कहा ले जाओ अपने घर वालों को खिलाओ ।) मुत्तफ़क़ अ़लै

अधिक ज्ञान :

अगर किसी ने रमज़ान में अपने शरमगाह (लज्जित स्थान)से पत्नी के शरमगाह मे सम्भोग (हमबिस्तरी)किया तो उसका सौम(रोज़ा)टूट जाये गा चाहे वीर निकले या न निकले ।

उसके ऊपर क़ज़ा और कफ्फारह दोनों है इस शर्त के साथ कि उसने बिना किसी के मजबूर किये अपने से किया हो, उसे याद हो कि वह सौम(रोज़े) से है भूला न हो, निवासी हो रोजे की हालत में यात्री न हो ।

और अगर रमज़ान के अतिरिक्त किसी अन्य अनिवार्य रोज़े की हालत में हमबिस्तरी किया है तो केवल उसका सौम(रोज़ा) टूटेगा तथा उसे कज़ा करना होगा ।

❁ अगर रमज़ान के अतिरिक्त किसी अन्य सौम(रोज़ा)की हालत में शरमगाह के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य स्थान मे किया है और वीर्य निकल गई है तो केवल सौम(रोज़ा) टूटेगा यदि अनिवार्य सौम(रोज़ा) है जैसे : नज़र का सौम(रोज़ा) कफ्फारह का सौम(रोज़ा)रमज़ान के रोज़े की कज़ा का सौम (रोज़ा) तो मात्र कज़ा करना होगा । कफ्फारह नहीं होगा ।

❁ रमज़ान के दिन में शरमगाह के सिवा किसी अन्य स्थान में हमबिस्तरी (सम्भोग) किया तथा वीर्य निकाला उलमा की सही मत के अनुसार

केवल सौम(रोज़ा) टूटेगा और उस पर क़ज़ा के साथ तौबह है उस पर कफ्फारह नहीं है क्योंकि उसने पूरी हमबिस्तरी नहीं की है

भूल कर सम्भोग(हमबिस्तरी) करने वाले पर न क़ज़ा है न कफ्फारह क्योंकि हदीस में है किः[अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत के भूल चूक तथा उन चीज़ों को छमा किया है जो उनसे बलपूर्वक(जबरदस्ती व क़हर ढ़ा कर) करवाया जाए (सही इब्ने माजह2-178)

तथा दूसी हदीसों में है किः [जिसने रमज़ान में भूल कर सौम(रोज़ा)तोड दिया तो उस पर न कज़ा है न कफ्फारह]

(इसे इमाम हाकिम ने मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है तथा इमाम ज़हबी ने सहमति की है (अल-तलखीसुलहबीर,इब्ने हजर,भाग : 2 पेज 195)

यही मत इब्ने तैमियह रहेमहुल्लाह का भी है(मजमूअ़ फतावा,भाग : 25 पेज 226)

अगर महिला सम्भोग से सहमत तथा राज़ी है तो उसका भी सौम(रोज़ा) टूट जायेगा और उस पर तवबा के साथ कज़ा तथा कफ्फारह है । और अगर महिला के साथ बलपूर्वक(जबरन व क़हरन)

किया गया है इसमे उसकी किसी प्रकार की सहमति या रिज़ामन्दी नहीं है और न वह इस से अपनी बचाव कर पाई है तो उस पर कुछ नहीं है।

● अगर कोई सम्भोग(हमबिस्तरी)करता रहा यहाँ तक कि फज्र उदय हो गया तो उस पर क़ज़ा और कफ्फारह है।

इसी प्रकार अगर कोई यह अनुमान लगा कर सम्भोग करे कि अभी फज्र उदय नहीं हुवा है जब कि फज्र उदय हो चुका है तो उस पर भी क़ज़ा तथा कफ्फारह है। (फतावा शैख इब्ने बाज़,भागः 15 पेज 290)

● अगर किसी ने रमज़ान के एक दिन में कई बार सम्भोग किया तो उस पर एक ही कफ्फारह है जब तक कि उसने इस से पहले वाले समभोग का कफ्फारह नहीं अदा किया है ,और अगर किसी दिन सम्भोग किया फिर कफ्फारह दे दिया फिर दूसरी बार उसी दिन किया तो उस पर दूसरा कफ्फारह होगा।(फतावा लजनःदाइमः,भाग : 10 पेज 221)

रमज़ान के सिवा किसी दूसरे महीने में अनिवार्य रोज़े की हालत में सम्भोग किया जैसे रमज़ान के कज़ा का रोज़ा, नज़र का रोज़ा या कफ्फारह का रोज़ा तो उस पर तौबह के साथ उस दिन की कज़ा है कफ्फारह नहीं है ।

नफली रोज़े की हालत में सम्भोग करने वाले पर कुछ नहीं है ।

(अधिक जानकारी के लिए देखें! मुगनी,इब्ने कुदामह,भाग 4-272-390,मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़ भाग 15- पेज 288-310,मजमूअ़ फतावा लजनह दाइमह भाग 10-301-330 मजमूअ़ फतावा इब्ने तैमियह भाग 25- 225-228)

2- जान बूझ कर मनी (वीर्य)निकालना

चाहे चुम्बन चाटी से या हाथ से या लज़्ज़त लेने के लिए किसी चीज़ को बार बार देखने से या किसी अन्य प्रकार से ।

परन्तु बिना वीर्य निकाले चुम्बन से सौम(रोज़ा)नहीं टूटेगा क्योंकि आ़इशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया है कि[नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

सौम(रोज़ा)की हालत में उनका चुम्बन लेते](मुत्तफक् अ़लैहि)
और मज़ी निकलने से रोज़ह नहीं टय्टे गा ।
(मुखतारात फ़िक्हिय्यह,इब्ने तैमिय्यह,पेज177)

3- सुबह सादिक़् से लेकर सूर्य डूबने तक जान बूझ कर खा पी लेना ।

अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

तुम खाते पीते रहो,यहाँ तक की प्रातःकाल (प्रातःकालीन प्रकाश) की सुफेदी का धागा अंधकार के काले धागे(तात्पर्य रात) से स्पष्ट हो जाये। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो।(सूरह बक्रः187)
इस आयत में अल्लाह पाक ने खाने पीने की इजाज़त फज्र स्पष्ट होने तक दी है फिर रात तक खाने पीने से रुक्ने का हुक्म दिया है।
तथा हदीसे कुदसी में है किः(........बन्दह अपनी शहवात,अपना खाना तथा पीना मेरे लिये छोड़ता

है,रोज़ह मेरे लिये है तथा मैं ही उसका फल दूँगा ००००००)मुत्तफ़क़ अ़लैह

जान बूझ कर नाक के मार्ग से मेअ़दह अथवा पेट में खाना ,पानी या किसी चीज के दाखिल करने से रोज़ा टूट जायेगा | क्यों कि लक़ीत बिन सबुरह की हदीस में है कहते हैं :मैं ने कहा (हे अल्लाह के रसूल मुझे वुजू के बारे में बतायें? आप ने कहाः अगर तुम रोज़े से नहीं हो तो नाक में पानी चढ़ाने मे मुबालगह (अतिशयोक्ति)करो) **अबूदाऊद.ह॰न॰2366,सही सुनन अबूदाऊद भाग 2 पेज, 91**

इस से यह स्पष्ट होता है कि नाक से पेट में कोई चीज़ दाखिल करने का ऐक मार्ग है |मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़,भागः 15 पेज,261.शरहुल मुमतेअ़ भाग : 6 पेज 378- 379

हाँ सूगन्ध या खुशबू सूँगने से रोज़ह नहीं टूटेगा क्योंकि खुशबू का जिस्म नहीं होता प्रन्तु धूनी सूँघने से बचना चाहिये क्योंकि धुआँ के साथ धूनी के साथ उसका कुछ भाग भी चढ़ता है |मजालिस शहर रमज़ान,पेज.160

अगर कोई फज्र उदय होने में शक करके खा पी ले तो कोई बात नहीं उसका रोजा सही होगा जब तक कि उसे यकीन के साथ यह न पता चले कि उसने फज्र उदय होने के बाद खाया, पिया है क्योंकि असल रात का बाक़ी रहना है । वैसे हमें शंका के समय से पहले सेहरी करना चाहिये । परन्तु जिसने सूर्य डूबने में शंका करते हुये खा पी लिया तो उसने गलती की तथा उसे उस दिन की कज़ा करनी होगी क्यों कि यहाँ असल दिन का बाक़ी रहना है अतःजब तक सूर्य डूबने का यकीन न होजाये हमें खाना पीना नहीं चाहिये ।

4- जो खाने पीने जैसा हो ।

जैसे खून चढ़वाना,ऐसा इंजेक्शन लगवाना जो)ोजन का काम करे (नसों में पोषक तत्वों का इन्जेक्शन) ,जैसे गोलोकोज़,ताक़त की सूई आदि । आ़म इन्जेकशन जो इलाज के लिये लगावाया जाता है उस से रोज़ह नहीं टूटेगा चाहे वह शरीर में कहीं भी लगाया जायेमजालिस शहर रमज़ान, पेज. 161-62 इसी प्रकार आँख,कान में दवा डालने या आँख में सुरमा या काजल लगाने से रोज़ह नहीं टूटेगा क्यों

कि न यह ग़िज़ा है तथा ना ही खाने पीने जैसा हैं ,और आँख या कान पेट में दाखिल करने का मार्ग नहीं हैं । हाँ अगर इसका असर हलक़ में महसूस हो तो उस दिन का कज़ा कर लेना अफज़ल है वाजिब नहीं । तथा अल्लाह के रसूल से रोज़े कि हालत में सुरमा लगाना साबित है । इब्ने माजह,ह॰न॰1678,सही सुनन इब्ने माजह.भाग2पेज68. मजमूअ. फतावा इब्ने बाज़ भागः15पेज257-264

5- पछना या सींगी लगवाना । हदीस में है।

أفطر الحاجم والمحجوم

[पछना लगाने तथा लगवाने वाले दोनों का रोजा टूट जाता है](सही सुनन अबूदाऊद भाग2-68) यही मत इब्ने तैमियह, इब्नुल् क़य्यिम.मुहद्दसीन फोक़हा,इब्ने बाज., इब्ने उसैमीन रहेमहुमुल्लाह का है ।

पछनालगाने वाले का रोज़ह इस लिये टूटेगा क्योंकि वह पछने में मुँह लगा कर चूसता है तो भीतर खून जा सकता है प्रन्तु अगर नश्तर मार कर बिना मुँह लगाये किसी और प्रकार से खून निकालता है तो पोछना ताथ सींगी लगाने वाले का रोज़ह नही

टूटेगा । मजमूअ़ फतावा इब्ने तैमियह भाग25 पेज252-258

वैसे इस मसअला में उलमा का इखतेलाफ़ है बेहतर है इखतेलाफ से बचते हुये रात में सींगी लगवाये।

इसी प्रकार किसी को खून चढ़ाने के लिये निकलवाने से रोज़ह टूट जायेगा तथा रोज़े की हालत में ऐसा करना हराम है , हाँ अगर बहुत सख्त जरूरत हो और इसके बिना जरूरत पूरी ना हो तो किसी को खून चढ़ाने के लिये निकलवा सकता है प्रन्तु उसे उस दिन की कज़ा करनी हो गी।

याद रहे नाक से या खाँसी से या बवासीर के कारण या कोई घाव चीरने से या इन्जेकशन लगाने से खून निकल आये या जाँच के लिये निकलवाने से आदि, रोज़ा नही टूटेगा क्योंकि यह पछना नहीं है तथा ना उसके प्रकार है और यह शरीर पर पछना के प्रकार परभाव नहीं करता। मजालिस शहर रमज़ान, इब्नेउसैमीन.पेज163- मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़ भागः 15 पेज272-274

6- जान बूझ कर क़ुय (वमन)करना । क्यों कि हदीस में हैः

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن ذَرَعَهُ القيءُ، فلا قضاء عليه، ومَن استقاء، فعليه القضاء.

[जिसे अपने से क़ुय आ जाये उस पर क़ज़ा नहीं तथा जो जान बूझ कर क़ुय करे वह कज़ा करे]।

(सुनन अबूदाऊद-ह०,न०,2380)अल्लामह अल्बानी ने सही सुनन अबूदाऊद में इसे सही कहा है ।

अगर पेट से खाना या पानी हलक़ तक अपने से निकल आये तो रोज़ह नहीं टूटेगा प्रन्तु उसे जान बूझ कर निगल लिया तो टूट जायेगा और अगर बिना इरादह अपने से निकल आये तो उगल देना चाहिये जान बूझ कर निगलना नहीं चाहिये। (शरहुल उमदह,इब्ने तैमिय्यह भाग : 1 पेज477)

7- हैज़ तथा निफास का खून आना ((मासिक धर्म अथवा वह रक्त जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है)।

क्योंकि हदीस में है किः

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ » متفق عليه

[क्या ऐसा नहीं है ? कि हैज़ में महिला सौम ,सालत नही करती] (बुखारी हदीस नः304)

हैज़ तथा निफास वाली महिला बाद में रोज़े की क़ज़ करेगी नमाज़ की नहीं । क्योंकि माई आ़इशा कहती हैं :

عن عائشة رضى الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة (متفق عليه)

(हमें रसूल सल्लल्लाहु के ज़माने में हैज़ आता था फिर पाकी के बाद हमें रोज़ह क़ज़ा करने का हुक्म दिया जाता था नमाज़ क़ज़ा करने का नहीं)**मुत्तफ़क़ अ़लैह ।**

इस हदीस से यह भी साबित हुवा कि क़जाए उमरी नाम की कोई नमाज़ नहीं है क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो हैज़ वाली महिलाओं को रोज़े के प्रकार नमाज़ की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता ।

8- सौम(रोज़ा) तोडने की निय्यत कर लेना।

चाहे कुछ भी न खाये न पिये । क्योंकि नियत सौम(रोज़ा)का एक आधार तथा रुक्न है (शरहुलमुम्तेअ,इब्ने उसैमीन,भाग : 6 पेज 376)

9- इस्लाम से निकल जाना(अधर्मी)हो जाना ।

अतः जो भी किसी बात,कार्य, आस्था(अक़ीदा) या इस्लाम से निकाल देने वाले कामों में से किसी काम को कर ले जिसके कारण इस्लाम से निकल जाये तो उसका सौम(रोज़ा टूट जाएगा ,बल्कि उसके सारे नेक कर्म बरबाद हो जायेंगे ,अल्लाह तआला ने फरमायाः

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

[निःसंदेह तेरी ओर भी तथा तुझ से पहले(के सभी नबियों)की ओर भी वह़ी कीगई हे कि अगर तूने शिर्क किया तो बेशक तेरा अमल बरबाद हो जायेगा तथा निश्चित रूप से तू हानि उठाने वालों में से हो जायेगा] (सूरह जुमर-65)

डायलिसिस••(गुर्दे की सफाई)अल्लाह हम सब को सुस्वास्थ तथा सेहत दे आमीन

डायलिसिस दो प्रकार का होता है

1- गुर्दे की मशीन द्धारा अर्थात खून इस मशीन में खींचा जाता है फिर उसे हानिकारक चीजों से साफ करके रगों से शरीर में लौटा दिया जाता है तथा कभी कभार रगों से कुछ गेज़ाई चीज़ैं भी दी जाती हैं ।

2- पेट में डायलसिस झिल्ली द्धारा,नाभि से ऊपर पेट की दीवार में छोटा सूराख करके नली डाली जाती है फिर लग भग दो लीटर कोई बहने वाली चीज़ पेट में दाखिल की जाती है जिसमें भारी मात्रा में चीनी होती है,यह पेट में कुछ देर रहता है फिर पुनः खींच लिया जाता है ऐसा ऐक दिन में अनेक बार किया जाता है. जिस से पेरिटोनिटिस के माध्यम से रक्त में इलेक्ट्रोलाइट्स और चीनी और नमक का आदान-प्रदान होता है , तथा वैज्ञानिक रूप से यह साबित है कि इन तरल पदार्थों(बहने वाली चीज़ों में) भारी मात्रा में पाई जाने वाली चीनी डायलिसिस झिल्ली के माध्यम से रोज़े रखने वाले के रक्त में प्रवेष होती है ।

डायलिसिस(((गुर्दे की सफाई) के बारे में उलमा के दो मत में से सही मत अनुसार रोज़ह टूट जाता है

क्योंकि इस से शरीर को साफ रक्त मिलता है साथ ही साथ गेज़ाई चीज़ें भी मिल सकती हैं तो इस में रोज़े को तोडने वाली दो चीज़ै हो जाती हैं | मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़,भाग : 15 पेज 274-275, फतावा रमज़ान, अशरफ अबदुल मक्सूद भाग : 2 पेज 477-478

हैज़ तथा निफास के सिवा ऊपर लिखी गई सौम(रोजे)तोडने वाली चीज़ों से उस समय रोजा टूटेगा जब उनमें तीन शर्तैं पाई जायें /

1- सौम(रोजा) रखने वाले को हुकुम की जानकारी हो उसके बारे में जाहिल न हो तथा जान बूझ कर किया है | अल्लाह पाक ने फरमाया :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة الأحزاب)

(तुम से भूल चूक से जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई पाप नहीं. प्रन्तु पाप वह है जिसका तुम इरादा करो तथा इरादा दिल से करो) **सूरह अहज़ाब.5**

2- उसे याद हो भूला न हो क्योंकि हदीस में है :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم . فأكل أو شرب ، فليتم صومه . فإنما أطعمه الله وسقاه

[सौम(रोजे)की हालत में जो भूल कर खा ले या पी ले तो वह अपना सौम(रोजा)पूरा करे सच में उसे अल्लाह ने खिलाया तथा पिलाया] (मुत्तफ़क़ अ़लैह-1933-1155)

3- खुद मुखतार हो किसी ने जबर न किया हो अतःकिसी रोजा रखने वाले का रोजा कोई जबरदसती मजबूर करके तोड़वा दे तो उसपर न कज़ा है न कफ्फारह तथा उसका रोजा सही हो गा।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

(जो मनुष्य अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफ्र करे उसके सिवाय जिसे(बाध्य) मजबूर किया जाये तथा उसका दिल ईमान पर(स्थिर)कायम हो,प्रन्तु जो लोग खुले दिल से कुफ्र करते हैं तो उन पर अल्लाह का ग़ज़ब हे तथा उन्हीं के लिए बहुत बड़ा क्रोध तथा अ़ज़ाब और यातना है) सूरह नह्ल : 106

अतः बिना इखतेयार तथा इरादा रोजे रखने वाले के पेट में धूल या वस्तु चली जाये,या वुजू में नाक में पानी चढ़ाने या कुल्ली करने में या तालाब

आदि में नहाने में पानी चला जाये तो उस का रोज़ा सही होगा तथा उस पर क़ज़ा नहीं है .और यही हुक्म इहतेलाम का भी है क्योंकि इस में भी कोई इखतेयार नही होता।
(मजालिस शहर रमज़ान,इब्ने उसैमीन 172- 173)

सौम(रोज़ा)की हालत में जायज़ चीजें :

1- अगर पती पत्नी दोनों को मन पर कंट्रोल(नियंत्रण) है तो बीवी का बिना किसी प्रकार की शहवत(विलास)बोसा लेना .खेल कूद तथा दिल लगी की बातें करना जायज है और अगर कंटोरोल नहीं है बात आगे बढ़ने या मनी निकलने का खतरह है तब नहीं। हदीस में है :

عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " رواه البخاري

(नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते तथा शरीर से शरीर मिलाते और तुम में सब से अधिक अपनी शहवत पर कंटरोल रखने वाले थे),सही बुखारी.1927 .

2- सिर पर पानी ड़ालना या तेल वग़ैरह लगाना । या दिन के किसी भी समय स्नान करना या ठन्डक प्राप्त करना ।

3- आँख में सुरमा लगाने या आँख,कान में दवा डालने या इनकी धुलाई करने या सिर तथा शरीर पर तेल या मरहम पटटी लगाने से रोज़ह नहीं टूटता ।

4- आवश्यकतानुसार बिना हलक़ के नीचे उतारे खाने का स्वाद चखना ।इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अ़लैह कहते हैं कि इब्ने अ़ब्बास ने फरमाया है :
(हाँड़ी या किसी चीज़ के चखने में कोई बात नहीं) हदीस न॰ 1930से पहले बाब बाँधा है. मजमूअ़ फतावा.फतवा कमीटी सऊदी अ़रब शाग10 पेज332

5- खुशबू लगाना या सूँघना हाँ अगर खुशबू की धूनी हो तो नहीं सूँघेंगे । मजमूअ़ फतावा,इब्ने तैमिय्यह भाग : 25पेज242

6- बिना मुबालगा कुल्ली करना या ठन्डक प्राप्त करने के लिए सिर या शरीर पर भीगे कपड़े रखना जायज़ है । रोज़े में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कपड़ा भिगो कर अपने ऊपर डाल लेते थे, और

इमाम हसन ने फरमाया है कि : रोज़े रखने वाला कुल्ली कर सकता है तथा ठन्डक प्राप्त कर सकता है(बुखारी, किताबुस्सियाम.रोज़ेदार के स्नान करने का बयान)

अबू बकरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है किः रोज़े की हालत में गरमी तथा प्यास के कारण मैंने नबी सल्लल्लाहय अ़लैहि वसल्लम को अपने सिर पर पानी उँडेलते देखा है। (अबूदाऊद, ह॰न॰2365, सहीसुननअबूदाऊद,अल्बानी .भाग2पेज61)

7- दिन में किसी समय मिसवाक करना या दाँत मंजन करना , हाँ ध्यान रखे कि मंजन भीतर पेट में न जाने पाये तथा बिना इरादह अगर चला गया तो उस दिन की कज़ा नही करनी होगी। मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़ भागः15पेज260

मेरे खयाल में अगर मंजन इस प्रकार तेज हो कि हलक़ तक जा सकता है तो बचना बेहतर है रात में या फजर से पहले कर लिया करें।

8- मज़ी निकलना या अपने से इहतेलाम (स्वप्नदोष) हो जाना।

9- उस आदमी का सौम(रोज़ा) रखना सही है जिस पर रात में स्नान अनिवार्य हो और फज्र या उसके बाद तक स्नान नहीं किया क्योंकि स्नान का सम्बन्ध सलात(नमाज़)से है सौम(रोज़ा) से नहीं , हाँ उसे स्नान करके पाक होने में जलदी करनी चाहिए ताकि फज्र की सलात जमाअत के साथ अदा कर ले । माई उम्मे सलमह तथा आइशाह रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा बयान करती हैं कि : (नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान में फजर का समय हो जाता और आप जनाबत के कराण नापाक होते फिर स्नान करते और रोज़ह रखते) मुत्तफ़क़ अलैह

10- भूल कर खा या पी लेना ।

11- रोज़ा रखने वाले से जो भी काम बिना इच्छा या इखतेयार के हो जाये जैसे किसी के मुंह में मख्खी चली जाये,कोई घाव लग जाये,या नाक से खून निकल आये,पानी चला जाये,धूल मिट्टी मुंह में चली जाये आदि।

12- ऐसी सूई लगवान जो खूराक न हो जैसे बुखार की,इन्सुलीन,या चेक कराने के लिये खून

(रक्त) निकलवाना,साँस के लिये भाप लेना , दाँतों से खून आना आदि से रोज़ा नहीं टूटता।

13- रोज़े की हालत में दाँत निकलवाने से रोज़ह नही टूटता ।

14- खट्टी डकार(ऊर्ध्वनिक्षेप)गले से निकलने के बाद अगर बिना इरादा अपने से वापस हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा तथा अगर बिना इच्छा और इरादा गले तक निकल आये तो थूक दे निगले नहीं । और अगर जान बूझ कर निगल लिया तो टूट जाये गा । (शरहुल्उमदः,इब्ने तयमियह भाग 1 - 477) (मजमूअ़ फतवा इब्ने बाज़ भाग : 15 पेज 260 रिसालःफिस्सियाम-28-मजमू फतावा लजनः दाइमःभाग 10 पेज 322,मजमूअ फतावा,इब्ने तैमियह भाग : 25 पेज 242, मजालिस शहर रमजान, इब्ने उसैमीन 163)

15- दिल की कुछ रोग के इलाज के लिये जबान के नीचे कुछ टेबलेट रखे जाते हैं जो बहुत ही कम समय में तुरन्त पिघल जाता है तथा खून उसे दिल तक पहुँचाता है जिस से दिल का दवरह रुक जाता है, और इन टेबलटों का कुछ भाग पेट में नही

जाता तो इस से रोज़ह नही टूटता। (मुफत्तिरातुस सियाम अल्मुआसरह, डा॰ अह़मद बिन खलील पेज17)

16-Gastroscope,(منظـــار المعـــدة)यह ऐक मेडिकल आला है जो मेअदह तथा पेट के भीतर की तसवीर लेने या जाँच के वासते कुछ काटने या किसी दूसरे काम के लिये मन्ह तथा हलक़ से पेट में डाला जाता है, इसके बारे में इब्ने उसैमीन रह़मतुल्लाहि अ़लैह कहते हैं कि इस से रोज़ह नही टूटेगा हॉ अगर इस आले में कोई तेल वगैरह लगा हो तो टूट जायेगा.तथा वाजिब रोजे में इसका प्रयोग केवल बहुत मजबूरी में है।

शरहुल मुमतेअ भाग :6पेज 383-384,मुफत्तिरातुस सियाम अल्मुआसरह,डा॰ अह़मद बिन खलील पेज 18-21

17- चेतनाशून्य करने वाली औषधि(बेहोश करना) यह दो प्रकार होता है 1- पूरी बेहोशी

2- स्थानीय संज्ञाहरण तथा शरीर के किसी स्थान का शून्य, कभी कुछ सुँघा कर किया जाता है तथा कभी चमडी के नीचे इहसास के स्थान में ठोस सूई डाल कर किया जाता है, तथा ऐसा अधिक्तर

स्थानीय संज्ञाहरण तथा शरीर के किसी स्थान का शून्य किया जाता है जिह से शरीर में कुछ नहीं जाता इस से रोज़े पर कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ता है हाँ अगर इस से पूरा दिन बेहोश रहे तो उसे उस दिन की कज़ा करनी होगी |

इंजेक्शन से कभी पूरी बेहोशी तथा **स्थानीय संज्ञाहरण** अर्थात शरीर का कोई स्थान शून्य होता है. तो अगर बोहोश करने वाले इंजेक्शन के साथ पौष्टिक तथा गेज़ाई सुई हो तो रोज़ह टूट जायेगा और अगर पूरी बेहोशी हो तथा पूरे दिन रहे तब भी रोज़ह टूट जायेगा हाँ अगर दिन में किसी समय होश आ गया तथा उसने फजर से पहले रोज़े की निय्यत करली थी तो उसका रोज़ह सही होगा (मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़ भाग : 15 पेज 259- मुफत्तिरातुस सियाम अल्मुआ़सरह पेज 24-26)

18- आक्सीजन गैस से रोज़ह नहीं टूटता : यह हवा है जो कुछ रोगियों को दिया जाता है जिस में कोई चिपकी हुई या भोजन वाली चीज़ नही होती. तथा यह साँस की नालियों में जाता है | मुफत्तिरातसु सियाम अल्मुआ़सरह पेज22)

इसी प्रकार नाक तथा आस्थमा स्प्रे से रोज़ह नही टूटता प्रन्तु हो सके तो रात में लिया जाये (मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़ भाग : 15 पेज264)

हाँ अगर नाक तथा आस्थमा स्प्रे में कोई टेबलेट या कैप्सूल का प्रयोग हो जिसे किसी मशीन में रख कर दबाया जाये जिस से कैप्सूल मुंह में फट जाये तो रोज़ह टूट जायेगा,क्योंकि इस कैप्सूल मे आटा या पाउडर होता है जो फटने के बाद थूक या लार से मिल जाता है और मेअ़दह तक पहुँच जाता है तो इसका प्रयोग अनिवार्य एवं फ़र्ज़ सौम ताथा रोज़े में उचित नहीं है । अगर इसका प्रयोग आवश्यक हो तो रोजा तोड़ दे तथा बाद में क़ज़ा करे तथा अगर इसका प्रयोग दिन तथा रात प्रत्येक समय ज़रूरी हो तो वह बूढ़े के प्रकार रोज़ा ना रखे तथा प्रत्यक दिन के बदले ऐक कंगाल खिलाये । (मजमूअ़ फ़तावा इब्ने उसैमीन भाग : 19पेज210-213

19- एनीमा,पाखाने के मार्ग में हीट बुखार के कारण कोई दवा रखने या बुखार नापने के लिये कोई चीज़ दाखिल करने,महिला के शरमगाह(योनि) में कोई दवा टपकाने या इलाज के लिये बत्ती

चलाने से रोज़ह नहीं टूटता, क्यों कि यह खाने पीने जैसा नहीं है मुफत्तिरातुस्सियाम.पेज377 . तुहफतुल इख़वान, इब्ने बाज़ पेज182)

रमज़ान के दिनों में निम्न प्रकार के उज़्र वालो के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ ह

1- रोगी तथा बीमार, याद रहे रोग दो प्रकार का होता है। पहला : वह रोगी जिसके रोग समाप्त होने तथा स्वास्थ्य पाने की आशा है। ऐसे रोगियों को अल्लाह पाक ने रमज़ान में रोज़े तोड़ने की इजाज़त(अनुमति) दी है, हाँ जितने दिनों का रोज़ा तोड़ा है रमज़ान के बाद क़ज़ा करना अनिवार्य है , अल्लाह पाक ने फरमाया :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिन्ती तथा गणना पूरी करनी चाहिये (सूरहः बक़रः184)

दूसरा : ऐसा रोग जिसके जाने की आशा बिल्कुल नहीं है। तथा उस में रोज़ा रखना कष्ट है। **रमज़ान में रोगी की तीन हालत होती है**،

पहली हालत : ऐसा रोगी जिस पर रोज़ा रखना कष्ट न हो तथा न ही उसे रोज़ा हानि पहुँचाये, तो ऐसे रोगी पर रोज़ा रखना वाजिब (अनिवार्य) है , क्योंकि यह ऐसा उज़्र नहीं है जिस से रोज़ा तोड़ना जायज़ हो|

दूसरी हालत : वह रोगी जिसके लिये रोज़ा रखना अधिक कष्ट हो प्रन्तु उसे रोज़ा हानि न पहुँचाये , तो उसके लिये रोज़ा न रखना वाजिब है,अधिक कष्ट के साथ रोज़ा रखना मकरूह है , अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया :

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

(जिस प्रकार अल्लाह पाक अपनी नाफरमानी (अवज्ञा)नापसंद(अप्रिय)करता है उसी प्रकार अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि उसकी इजाज़तों को किया जाये) (मुस्नद अह़मद,भाग : 1 पेज108, अल्बानी रहेमुहुल्लाह ने इराव में ह॰न॰ 564 में सही कहा है) तथा सारे उलमा इस बात पर सहमत हैं, (मुग़नी,इब्ने कुदामह भागः 4 पेज403)

तीसरी हालत : ऐसा रोगी जिस के लिए रोज़ा रखना अधिक कष्ट हो तथा रोज़ा हानि पहुँचाये , तो उसके लिये रोज़ा न रखना वाजिब है अल्लाह पाक ने फरमाया :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

और अपने आप को क़त्ल न करो बेशक अल्लाह पाक तुम पर रहम करने वाला है) (सूरःनिसाः 29. मजालिसःशहरे रमज़ान,ईब्ने उसैमीन पेज : 86)

● रोज़े की हालत में किसी ऐसे रोग लगजाने से जिसके कारण रोज़ा पूरा करना कष्ट हो तो रोज़ा तोड़ना जायज़ है | बाद में क़ज़ा करेगा।

● जब कोई मुसलमान माहिर(सूक्ष्म) विश्वसनीय अमानतदार **डॉक्टर** कहदे कि रोज़े से रोग आयेगा या रोग बढ़ जायेगा या स्वास्थ्य पाने में देर होगी तो रोज़ा तोड़ना जायज है बाद में कज़ा करना होगा | (फतावा इब्ने बाज़,भाग : 15 पेज214)

2- ऐसा रोगी जो रोग के कारण कभी भी रोज़े न रख सके तथा उसके रोग समाप्त होने की आशा न हो जैसे बूढ़ा(अधिक उमर वाला)वह रोगी जिसके रोग जाने की आशा न हो,तो ऐसे पुरुष तथा

महिला पर रोज़ा रखना अनिवार्य तथा वाजिब नहीं है क्योंकि वे शक्ति ही नहीं रखते | अल्लाह पाक ने फरमाया : **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**
अल्लाह किसी भी आतमा पर उसकी ताक़त से अधिक बोझ नहीं डालता) (सूर : बक़र : 280)
ऐसे लोग हर दिन के बदले एक कंगाल को खाना खिलायेंगे,चाहे खाना बना कर तोड़े हुए रोज़े के हिसाब से कंगालों को पका कर एक ही दिन खिला दें,या प्रतिदिन खिलाते रहें, चाहे हर दिन के बदले सवा किलो के हिसाब से जो उस ग्राम या शहर में आम लोग खाते हैं गल्ला निकाल कर कई कंगालों या एक कंगाल को देदें,चाहे शुरू महीने में या बीच में या अन्त में | (मजमूअ़ फतावा,इब्ने बाज़ भाग : 15 पेज 202-205)
3- यात्री,मुसाफिर : जिस यात्रा में नमाज़ क़स्र करना जायज़ है उसमें रोज़ा तोड़ना भी जायज़ है | अल्लाह पाक ने फरमाया :
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिन्ती तथा गणना पूरी करनी चाहिये (सूरहः बक़रः184)

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : (अल्लाह ने यात्री से रोज़े को क्षमा कर दिया है) (अबूदाऊद : ह॰न॰2408–

❁ जुमहूर उलमा के यहाँ क़स्र की सीमा48 मील (88 या 79 किलो)है|

❁ यात्री जब अपना ग्राम या शहर से बाहर निकल जाये तब रोज़ा तोड़ेगा यह नहीं कि कल यात्रा करना चाहता है तो रोज़े की नीयत ही न करे तथा घर से खा पी कर निकले क्योंकि यात्रा अभी शुरू नहीं हुआ है । (शरहुल मुम्तेअ़ भाग : 6 पेज 359)

❁ जब यात्री अपने यात्रा में किसी शहर या ग्राम में चार दिन से अधिक दिन ठहरने की नीयत करे तो वह नमाज़ पूरी पढ़ेगा तथा रमज़ान का महीना हो तो रोज़ा भी रखेगा , क्योंकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज्जतुल विदाअ. मक्कह में 14 ज़ुल्हिज्जह इतवार के दिन आये और मक्कह में इतवार,सोमवार,मंगलवार और बुद्धवार को ठहरे फिर जुमेरात को फज्र पढ़ कर मिना की ओर निकले , आप इन दिनों में क़स्र करते थे । और

अगर चार दिन या इस से कम दिन ठहरने की नीयत करे तो नमाज़ क़स्र पढ़ेगा तथा रमज़ान का महीना हो तो रोज़ा भी नहीं रखेगा ।

🐚 अगर यात्री के यात्रा के दिन नियुक्त एवं निर्धारित न हो आज कल,आज कल की बात हो तथा ठहरने की नीयत न हो तो वह पूरे यात्रा में क़स्र करेगा तथा रमज़ान का महीना हो तो रोज़े भी नहीं रखेगा चाहे जितना दिन ही क्यों न हो क्योंकि सफर की मुद्दत मुतअय्यन एवं निर्धारित नहीं है । आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबूक में बीस दिन ठहरे इसी प्रकार एक बार मक्कह में दस दिन ठहरे तथा आप क़स्र करते थे(मजमूअ़ फतावा इब्ने तयमियह भाग : 24 पेज 17 मुग़नी,भाग 3 पेज153)

🐚 अगर यात्रा में रोज़ा रखना बिल्कुल कष्ट न हो, रोज़ा रखना भी आसान हो तथा तोड़ना भी , तो रोज़ा तोड़ना भी जायज़ है तथा रखना भी । क्योंकि ह़मज़ह बिन अ़मर अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यात्रा में रोज़े के बारे में पूछा,तो आप ने फरमायाः (चाहो तो रोज़ा रखो चाहो तो तोड़ दो) (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

प्रन्तु शैख इब्ने बाज़ रहेमहुल्लाह के यहाँ अफ़ज़ल रोज़ा न रखना है | हाँ अगर बाद में क़ज़ा करना कष्ट हो तो रखना बेहतर है | (मजमूअ़ फ़तावा इब्ने बाज़ : भाग : 15 पेज 234- 244)
और शैख इब्ने उसैमीन रहेमहुल्लाह कहते हैं कि ऐसी हालत में रोज़ा रखना अफ़ज़ल है |(मजालिस शहरे रमज़ान : 82)

यदि यात्रा में रोज़ा रखना इतना कष्ट हो कि सहा तथा बरदाश्त किया जा सकता है प्रन्तु रोज़ा न रखने में आसानी है,तो रोज़ा तोड़ना मुसतहब और बेहतर है, रोज़ा रखना मकरूह है | क्यों कि हदीस में है : (यात्रा में रोज़ा रखना भलाई नहीं है) मुत्तफ़क़ अ़लैह

हाँ अगर यात्रा में रोज़ा रखना अधिक कष्ट हो,बर्दाश्त से बाहर हो, या रोज़ा हानि पुहुँचाए तो ऐसी हालत एवं अवस्था में रोज़ा तोड़ना वाजिब एवं अनिवार्य है, रोज़ा रखना हराम है | अल्लाह पाक ने फरमाया :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

(और अपने आप को क़त्ल न करो बेशक अल्लाह पाक तुम पर रहम करने वाला है) (सूरःनिसा : 29) और जिस वर्ष मक्कह फतह् हुआ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि रोज़ा रखना कष्ट है,तो आप ने एक पियाला मंगाया,उसे इतना ऊपर उठाया कि लोगों ने देखा आप ने उस से पिया. फिर आप से कहा गया कि : कि कुछ लोग रोज़े से हैं , इस पर आप ने फरमाया :

أولئك العصاة،أولئك العصاة

(यह नाफरमान लोग हैं, यह नाफरमान लोग हैं) (सही मुस्लिम ह॰न॰1114)

इसी प्रकार अगर कोई रमज़ान के महीने में इस लिए यात्रा करता है ताकि उसे रोज़ा न रखना पड़े तो ऐसा करना हराम है,उसे अल्लाह से तौबह करना चाहिए,तथा यात्रा से लौट अना चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए,और अगर नहीं लौटता है तो उसे ऐसे यात्रा में भी रोज़ा रखना पड़ेगा ।(फ़िक़्हुल् इबादात.इब्ने उसैमीन,282)

4- हैज़ तथा निफास (माहवारी तथा ज़च्चा)वाली महिला :

ऐसी महिलाऐं रमज़ान में उतने दिन रोज़ा नहीं रखेंगी जितने दिन रक्त आऐगा, बाद में क़ज़ा करेंगीं । अतः ऐसा रक्त आते ही रोज़ा टूट जाएगा चाहे दिन के किसी भी भाग में आए । और जब दिन के किसी भी भाग में पाक हो जाए तो उस दिन के बाकी भाग में रोज़ा नहीं रहेगीं । इसी प्रकार ऐसी महिला अगर रात में पाक हो जाए चाहे फज्र से कुछ ही मिनट पहले तो उसे उस दिन से रोज़ा रखना होगा चाहे वह फज्र के बाद स्नान करे ।

5- गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिला :

अनस बिन मालिक कअ़बी ने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान किया है कि आप ने फरमाया : (अल्लाह ने यात्री से आधी नमाज़ तथा यात्री, गर्भवती और दूध पिलाने वाली से रोज़ा को क्षमा कर दिया है) (अबूदाऊद ह०न०2408)

इमाम बुखारी रहे़महुल्लाह ने फरमाया है कि : (ह़सन बसरी तथा इब्राहीम नखई ने गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला के बारे में कहा है कि : अगर उन दोनों को अपने ऊपर या अपने बच्चे

पर खतरा हो तो दोनों रोज़ा तोड़ देंगी फिर बाद में क़ज़ा करेंगी) (फतहुल्बारी,इब्ने हजर : भाग : 8 पेजः179-180)

गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला का हुक्म रोगी के प्रकार है , अगर इन्हें रोज़ा रखने में न सहने के लायक कष्ट हो या अपने ऊपर या अपने बच्चे पर खतरा हो तो रोज़ा तोड़ देंगी तथा जितने दिना तोड़ी हैं बाद में क़ज़ा करेंगी | प्रन्तु अगर रोज़ा रखने में कोई कष्ट नहीं या बर्दाश्त करने के लायक़ कष्ट है तथा अपने ऊपर या बच्चे पर कोई खतरा नहीं है तो रोज़ा रखना ज़रूरी है|

6- जिसे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएः

जैसे किसी को कोई मार मार कर या जान माल या संतान की धमकी देकर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर दे | तो हानि से बचने के लिए उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है | अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : (अल्लाह ने मेरे लिए मेरी उम्मत से उन चीज़ों को क्षमा कर दिया है जो गलती,या भूल चूक से हो जाऐ या

जिस पर उन्हें मजबूर किया जाए)(इब्ने माजहः ह॰ न॰ 2043)

7- दूसरे की कोई ऐसी ज़रूरत पूरी करने के लिए रोज़ा तोड़ना जो बिना रोज़ा तोड़े पूरी न की जा सके।

जैसे किसी डूबने वाले को निकालना,किसी जलने वाले को बचाना,किसी रोगी के लिए रक्त दान करना आदि। क्यों कि ऐसे लोगों को बचाना वाजिब है ताथा तोड़े हुए रोज़े का बाद में केवल क़ज़ा करेगा।(शरहुल्मुम्तेअ़ : इब्ने उसैमीन,भाग : 6 पेज : 366-365)

8- इसी प्रका अधिक भूक,प्यास का लग जाना कि मौत का खतरा हो या शारीरिक किसी हानि के पहुँचने का डर हो तो रोज़ा तोड़ना जायज है ,और बाद में क़ज़ा करेगा। अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

(और अपने आप को क़त्ल न करो बेशक अल्लाह पाक तुम पर रहम करने वाला है) सूरःनिसाः 29

9- अल्लाह के मार्ग में जिहाद के लिए ताक़त प्राप्ति के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा।

फर्ज़ सौम(रोज़ा) की कज़ाः

यात्री,हैज़ तथा निफास वाली महिला,वह रोगी या गर्भवती अथवा दूध पिलाने वाली महिला जो सौम(रोज़ा) रखने की शक्ति नहीं रखती या सौम(रोज़ा) रखने के कारण उसे या बच्चे को हानि पहुंचने का खतरा है तो वह सौम(रोज़ा)(तोड़ सकती है तथा यह लोग बाद में कज़ा करेंगें । अल्लाह पाक ने फरमाया : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
(वह दूसरे दिन की गिनती पूरी कर लें,) सूरःबक़रः184)

प्रन्तु अगर कोई बिना उज़ुर के रमज़ान के रोज़े छोडा है तो कज़ा के साथ तोबह तथा इस्तिग़फार भी करना होगा तथा उसे ततकाल कज़ा करना होगा। क्योंकि जिस आदमी ने रमज़ान के दिन में अपनी पत्नी से हमबिस्तरी की थी उसे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रोज़े के साथ इस्तिग़फार तथा क्षमायाचना करने का हुक्म दिया था ।(अबूदाऊद ह॰ न॰2393,मजालिस शहर रमज़ान, इब्ने उसैमीन पेज 97)

रमज़ान के छूटे हुए सौम(रोज़ा) की कज़ा का कोई विषेश समय नहीं है हाँ आसानी अनुसार अगला रमज़ान आने से पहले जितनी जल्दी हो सके कज़ा कर लेने चाहिए। बीच बीच में नाग़ा करके भी रख सकता है वैसे लगतार रखना अफ़ज़ल है। क्यों कि लगातार रोज़ह की कज़ा करना अदा के अधिक (अनुरूप)मुशाबेह है तथा इस से जल्दी ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है और कौन जानता है कि कल हमारा क्या होगा ? (शरहुल मुमतेअ़,इब्ने उसैमीन.भागः 6 पेज 446)

इसी प्रकार वह मुसलमान महिला या पुरुष जो बुढ़ापे की उस उमर को पहुँच जायें कि सौम(रोज़ा)रखने की बिल्कुल कभी भी शक्ति न रखते हों या वह रोगी जो सौम(रोज़ा)रखने के लायक़ स्वास्थ्य की आशा ना रखता हो तो ऐसे लोगों के लिए सौम(रोज़ा)रखना ज़रूरी नहीं है हाँ हर दिन के बदले एक कंगाल एवं ग़रीब को खाना खिलाना अनिवार्य है। तथा ऐसा ही वे सारे लोग जो कभी भी सौम(रोज़ा) रखने या कज़ा करने की जिसमानी (शारीरिक) ताकत नहीं रखते हर दिन के

बदले एक कंगाल एवं ग़रीब को खाना खिलाऐंगे। अल्लाह ने फरमाया है^

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(परन्तु अगर तुम में से जो मनूष्य रोगी हो या यात्रा में हो तो वह अन्य दिनों में गिन्ती पूरी कर ले तथा जो इसकी ताक़त रखता है फिदिया में एक कंगाल तथा ग़रीब को खाना दे फिर जो मनुष्य भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है। लेकिन तम्हारे हक़ में बेहतर कर्म सौम यानी रोज़े रखना ही है अगर तुम जानते हो-(सूरह बक़र:184)

यदि इनमें से किसी ने रमज़ान में कंगाल नहीं खिलाय तथा रमज़ान के बाद मर गया तो उसके छोडे हुये धन में से खिलाया जायेगा।

❁ यदि कोई मुसलमान वाजिब रोज़े की कज़ा को टालता रहा जब कि वह कज़ा कर सकता था यहाँ तक कि अगला रमज़ान आने से पहले मर गया तो शैख इब्ने बाज़,शैख इब्ने उसैमीन कहते हैं कि उसकी ओर से रोज़ह रखना मुसतहब तथा बेहतर है वाजिब नहीं अगर किसी ने रख दिया तो

ठीक वरना प्रत्येक दिन के हिसाब से उसके छोडे हुये धन में से कंगाल खिला दिया जाये | क्योंकि मुस्नद बज़्जार में माई अ़ईशा की हदीस है : (उसका वली अगर चाहे तो उसकी ओर से रोज़ह रखे) मजमूअ़ ज़वाइद में इमान हैसमी ने इसकी सनद को हसन कहा है.नैलुल अवतार,शौकानी भागः 3 पेज179,शरहुल मुमतेअ़,इब्ने उसैमीन भाग : 6 पेज 453-458

नफली रोज़े से पहले छूटे हुये वाजिब रोज़े की क़ज़ा अफज़ल और वाजिब है |मजमूअ़ फतावा इब्ने बाज़,भाग : 15 पेज 388-394,शरहुल मुमतेअ़ भाग : 6 पेज 447-448

सौम(रोज़ा)की हालत में नाजायज़ तथा हराम काम :

हराम कहते हैं कि :जिसके करने वाले को सज़ा दी जाये तथा छोड़ने वाले को सवाब मिले |

सौम(रोज़ा)केवल खाने पीने तथा पत्नी से हमबिस्तरी से रुकने का नाम नहीं है बल्कि उन सारे पापों से रुकने का नाम है जिसे अल्लाह पाक

तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हराम किया है |

1- सौम(रोज़ा)रखने वाले पर बिना शरई बहाना के वह सारी चीज़ें हराम है जिन से सौम(रोज़ा)टूट जाता है |

2- सौम(रोज़ा)रखने वाले पर हर वह चीज़ हराम है जिसे अल्लाह ने सदैव हराम किया है इस लिए सौम(रोज़ा)रखने वाले पर हर उस बात तथा कार्य एवं कर्म से सदैव बचना अनिवार्य है जो हराम है चाहे रोज़े की हालत में हो या बिना रोज़े के हो | हम निम्न में उदाहरणतः कुछ कार्य लिख रहे हैं इस आशा के साथ कि हम सब इनसे बचेंगें इन शाअल्लाह

किसी भी प्रकार का जान बूझ कर झूट बोलना,झूटेकार्य करना,आरोप लगाना, झूटी गवाही देना,जहालत और अज्ञानता के कर्म करना,नाच गाने, फिल्म, डरामे तथा बेहयाई की चीज़ें देखना या सुनना ,अन्याय और आक्रमण बुरे कर्म करना, किसी प्रकार का अत्याचार करना आदि |

क्यों कि हदीस में है :

عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه

(जो झूट बोलना,झूट पर चलना तथा जहालत के कार्य न छोड़े तो अल्लाह को कोई आवश्यक्ता नही है कि वह अपना खाना और पीना छोड़े) (सही बुखारी- 1903)

दूसरी हदीस में है (सौम(रोज़ह) **खाने और पीने** से रुकने का नाम नहीं प्रन्तु **निष्क्रिय और** फोहश व **अश्लील भाषा** से रुकने का नाम है , तो अगर तम्हें कोई गाली दे या तम्हारे साथ कोई जहालत करे तो तुम कहोः मैं रोज़े से हूँ मैं रोज़े से हूँ) इब्ने खुज़ैमह.हःनः1996

इसका यह अर्थ नहीं कि सौम(रोज़ा)की हालत में झूट बोलने से सौम(रोज़ा) टूट जाता है हाँ उसके सौम(रोज़े)के सवाब में कमी आजाती है I

ग़ीबत,चुगली I अपने भाई के पीठ पीछे कोई ऐसी बात या **शारीरिक दोष** कहना जो उसे ना पसन्द हो चाहे वह चीज़ उसमें पाई ही क्यों ना जाये, तथा ना पाई जाने वाली बात कहना तुहमत

है,और चुगुलखोरी : लोगों की बतों को फसाद तथा फितना तथा उपद्रो मचाने के लिये ऐैक दूसरे से कहना |

अल्लाह ने फरमाया :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)

[हे ईमान वालो! अधिकांश बुरे अनुमानों से बचोःविश्वास करो कि कुछ बुरे अनुमान पाप हैं , तथा भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे ,क्या तुममें से कोई भी अपने मरे भाई का माँस खाना प्रिय समझता है ? तुम्को उस से घिन होगी | तथा अल्लाह से डरते रहो निःसंदेह अल्लाह क्षमा स्वीकार करने वाला कृपालु है] (हूरह हुजुरात-12)

तथा हदीस में **है :** **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ**

[स्वर्ग में चुगली करने वाला नहीं जायेगा](सही बुखारी-6056)

कुकर्म बकना तथा देखना,गाली गुलूज चोरी,खियानत,विश्वासघात,बात चीत तथा लेन देन , तिजारत ,मामेले में धोका धड़ी आदि

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (जिसने हमारे ऊपर हथियार उठाया वह हमरे मार्ग पर नहीं तथा जिस ने हमें धोका दिया वह हमारे मार्ग पर नहीं है)सही मुस्लिम.हःनः101-102

सलात(नमाज़) तथा अन्य वाजिब काम छोड़ना आदि |

सौम(रोज़े)के आदाब तथा सुन्नतें

सुन्नत कहते हैं कि करने वाले को सवाब मिले तथा छोड़ने वाले को सजा न मिले |

1- सहरी खाना : अन्तिम रात में रोज़ह रखने वाला जो कुछ खाता पीता है उसी को सहरी कहते हैं. रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फरमान है (सहरी करो सहरी करनें में बरकत है) (बुखरी,मुस्लिम)

सहरी का समय रात के अन्तिम तीसरे पहर से लेकर फज्र के समय तक होता है |

सहरी करना ऐसी सुन्नत है जिस पर नबी पाक ने जोर दिया है ,अगर कोई बिना सहरी के रोज़े रखे

तो भी कोई बात नहीं वह केवल सहरी की बरकत नहीं पायेगा |

सहरी के बारे में अल्लाह के रसूल की कछु हदीसें पढ़ें !

- सहाबी का बयान है कि :मै नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और आप सहरी कर रहे थे तो आप ने कहा :(यह बरकत है जिसे अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो इसे ना छोड़ो) (सही सुनन नसई,अल्बानी. भाग :2 पजे107)

- इरबाज़ बिन सारियह कहते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान में सहरी के लिये बुलाया और कहा : (दोपहर के मुबारक खाने पर आओ) | सही सुनन अबूदाऊद भाग : 2 पेज 55 सहरी को दोपहर का खाना आप ने कहा है |

- नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (सहरी खाना बरकत है तो इसे ना छोड़ो,चाहे पानी का ऐक घूँट ही पी लिया करो,क्योंकि अल्लाह तथा उसके फरिशते सहरी करने वालों पर दुआ़ करते हैं)सही तरग़ीब व तरहीब. अलबानी. ह॰न॰1070

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (मोमिन की सब से बेहतर सहरी खजूर है) सही सुनन अबूदाऊद, अलबानी.भाग : 2पेज55

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : (हमारे तथा यहूद एवं नसारा के रोज़े में अन्तर सहरी खाना है) सही मुस्लिम,ह॰न॰1096

2- सहरी करने में ताखीर एवं विलम्ब करनाः

तथाअन्तिम समय में खाना। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहरी से फारिग़ होने तथा फज्र की नमाज़ शुरू होने में इतना समय रहता था कि पचास आयत पढ़ सकते थे (मुत्तफ़क् अ़लैह)

कुछ लोग सहरी तथा इफ़्तार में अज़ान पर भरोसा करते हैं चाहे अज़ान समय पर हो या बिना समय हो,जब्कि सहरी या इफ़्तार में उसी मुअज़्जिन के अज़ान का एतेबार होगा जो बिल्कुल सही समय पर अज़ान देता हो वरना समय होने पर इफ़्तार किया जाएगा और समय खतम होते ही सहरी करना बन्द कर दिया जाएगा।

सही समय पर फज्र की अज़ान सुनते समय अगर खाना,पानी का बरतन हाथ में हो तो अपनी

ज़रूरत पूरी कर सकते हैं ,अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया :

عن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ على يده، فلا يضعه حتى يقضيَ حاجته منه

जब कोई अज़ान सुने और बरतन उसके हाथ में हो तो उस से अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद रखे(अबूदाऊदःह॰न॰2350)

3- सूर्य डूबते ही इफ़्तारर करना तथा इफ़्तारर करने में जल्दी तथा सहरी करने में देर करनाः नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फरमान है : उस समय तक लोग भलाई पर रहें गें जब तक इफ़्तार करने में जल्दी तथा सहरी करने में देर करेंगें (सही बुखारी,सही मुस्लिम)

दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया(इस्लाम उस समय तक गालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार करने में जल्दी करेंगें,क्योंकि यहूदी एवं नसरानी इफ़्तार करने में लेट तथा विलम्ब करते हैं)(सही सुनन अबूदाऊद भागः2पेज58)

प्रश्न : जिन देशों में दिन लंबा होता है वहाँ रोज़े कैसे रखे जाएं ?

उत्तर : 1- जिन देशों में सूर्य डूबने तथा निकलने से दिन और रात मालूम होता है प्रन्तु गर्मी में दिन बहतु लंबा तथा सर्दी में छोटा होता है या इसके उलटा, मगर 24 घंटे ही होते हैं,तो वहाँ नमाज़ और रोज़ा शरई तौर पर उनके मालूम एवं प्रसिद्ध समय में अदा किया जाएगा ।

2- वह देश जहाँ गर्मी में सूर्य नहीं डूबता और सर्दी में नहीं निकलता या वे देश जहाँ छ महीना दिन और छ महीना रात होती है, तो वहाँ के लोग अपने उन पड़ोसी देशों के अनुसार जाहाँ सूर्य निकलने या डूबने से दिन तथा रात अलग होती है 24 घंटे के हिसाब से नियुक्त कर के तथा अनुमान लगा कर पाँचों नमाजें अदा करेंगे तथा उन्ही के हिसाब से रोज़ा भी रखेंगे । (मजमूअ़ फ़तावा,इब्नेबाजः भागः 15, पेज,164-169)

4- इफ़्तार के समय दुआ करना : नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (इफ़्तार के समय की गई दुआ़ (रद)खंडन नहीं की जाती) । (सही सुनन इब्ने माजह भाग2पेज86)

याद रहे कि इफ़्तारर के समय

اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت
(अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु) पढ़ना सही ह़दीस से साबित नहीं है(ज़ईफ़ सुनन इब्ने माजह- 2355) इस ह़दीस को अल्लामह इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुलमआ़द में.इमाम ज़हबी ने महुज़्ज़ब में,इब्ने ह़जर ने फुतूह़ात में,इमाम नव्वी ने मजमूअ़ में,अलबानी ने इरवाअ मे ज़ईफ कहा है
बल्कि बिस्मिल्लाह कह कर सौम(रोज़ा) खोलना चाहिए।

4- रुतब खजूर(अधकचरी) से खोलना चाहिये,अगर यह नहीं है तो सूखी खजूर अगर यह भी नहीं है तो पानी से इफ़्तारर करना सुन्नत है,आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मग़्रिब की नमाज से पहले रुतब खुजूर से इफ़्तारर करते अगर रुतब नहीं है तो सुखी खजूर से, अगर खजूर नहीं है तो पानी के कुछ घूँट से इफ़्तारर करते। (सुनन तिरमिजी-696)

हाँ अगर कोई ऐसे स्थान पर हो जहाँ इफ़्तारर के लिए कोई हलाल चीज़ न हो तो सूर्य डूबते ही दिल में इफ़्तारर की निय्यत कर ले बाद में जब खाने पीने की कोई चीज़ मिले तब खाये।

5- इफ़्तारर के समय यह दुआ पढ़ना सुन्नत है: « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ »
ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल् उरूक़् व सबतल् अज्रु इन शाअल्लाहु
(पियास चली गई,रगें तर हो गईं,सवाब साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा) (अबू दाऊद) | इस हदीस को बहुत से मुहद्देसीन ने हसन तथा कुछ ने सही कहा है |

याद रहे : अगर किसी मुसलमान ने किसी शहर में रोज़ा रखा फिर किसी अन्य शहर का यात्रा किया तो रोज़ा तथा इफ़्तार उसी शहर के समय अनुसार करेगा जिस शहर का यात्रा किया है | उन्ही के साथ ईद करे गा ,प्रन्तु अगर उसका 29 दिन से कम रोज़ा हुआ तो ईद के बाद एक दिन का क़ज़ा करे गा, और अगर 30 दिन से अधिक रोज़ा रखा तो ईद उन्ही के साथ करेगा, हाँ अगर अपने शहर लौट आया तो अपने शहर वालों के साथ करेगा|(मुख्तसर अल्फ़िक़्हुल् इस्लामी, मुहम्म्द बिन इब्रहीम तुवयजरीः114)

6- सौम(रोज़ा) की हालत में मिसवाक करनाः
नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सौम(रोज़े) की

हालत में अधिक मिसवाक करते थे (सुनन तिरमिज़ी)

याद रहे !

● मिसवाक से मुंह साफ रहता है तथ अल्लाह को पसन्द है **(सही सुनन नसई,अलबानी,भाग1पेज4)**

● **निम्न हालतों में मिसवाक अधिक पसन्द है |**

क- नींद से जागने के बाद(सही बुखारी ह॰न॰245)

ख- प्रत्येक वुज़ू करते समय(सही बुखारी भाग : 4 पेज158)

ग-प्रत्येक नमाज़ के समय(सही मुस्लिम ह॰न॰252)

न- घर में दाखिल होते समय (सही मुस्लिम ह॰न॰253)

च- कुरआन मजीद की तेलावत तथा घर से नमाज़ के लिए निकलते समय |

(सही तरग़ीब,अलबानी भाग : 1 पेज 90-91)

7- बेकार बातें कहने या सुनने तथा हराम चीजें देखने से बचना |

8- विशेष रूप से अधिक से अधिक अच्छे तथा नेक काम करना |

अल्लाह पाक तू हमें सदेव अच्छे कर्म का अवसर दे तथा स्वीकार कर / आमीन

रमज़ान के महीने में सौम(रोज़ा)तथा सलात (नमाज़)के अतिरिक्त कुछ अफज़ल (सर्वोत्तम) कर्मः

1- अधिक से अधिक कुरआन मजीद की तिलावत तथा सदका और दान : नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान में अधिक से अधिक सदक़ा खैरात करते थे तथा कुरआन मजीद सुनते सुनाते थे | (सही बुखारी,)

2- उमरा करना : नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : (रमज़ान में उमरा का सवाब हज्ज के बराबर है,) (सही बुखारी)

3- क़ियामुल्लैल(तरावीह ,तहज्जुद की नमाज़) : नबीसल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः (जिसने ईमान के साथ तथा सवाब के लिए रमज़ान में क़ियामुल्लैल (तरावीह की नमाज़)अदा किया तो उस के पिछले पाप झमा कर दिए जायेंगें |)
(सही बुखारी)

तरावीह की सलात मुअक्कदह सुन्नत है,जो भी मुसलमान स्त्री तथा पुरुष इस बात की पुष्टि करते हुए कि यह अल्लाह का उतारा हुआ अधिकार है , तथा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की लाई और कही हुई बात की पुष्टि करे और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने तथा सवाब चाहते हुए इखलास के साथ तरावीह़ पढ़ेगा उसके पिछले पाप क्षमा कर दिए जायेंगें। तरावीह की सलात जमाअत के साथ पढ़ना सुन्नत से साबित है जैसा कि माई आइशह रज़ियल्लाह अन्हा की हदीस में है (कि : अल्लाह के रसूल एक रात निकले और मस्जिद में सालत पढ़ी तो लोगों ने आप के पीछे सलात पढ़ी, फिर लोग इस विषय में बात चीत करने लगे तथा पहले से अधिक लोग जमा होगऐ,तो दूसरी रात भी आप निकले और लोगों को सलात पढ़ाई,फिर लोग इसका चरचा करने लगे जिससे तीसरी रात मस्जिद में अधिक संख्या मे जमा हो गए और आप ने सब को सलात पढ़ाई और चौथी रात मस्जिद में लोगों के सलात पढ़ने के लिए स्थान न होने के कारण आप नहीं निकले यहाँ तक कि फज्र के समय

निकले, फज्र की सलात के बाद आप ने सभी को सम्बोधित करते हुए फरमाया : तुम लोगों की हालत से हमें कोई कठनाई नहीं प्रन्तु हमें खतरा है कि रात की सलात(तरावीह)तुम पर अनिवार्य न करदी जाये जिसे तुम न अदा कर सको | और यह रमज़ान मे हुवा) (मुत्तफक़ अलैह)

तरावीह की सालत दो दो रकाअ़त पढ़के सलाम फेरा जायेगा(सही मुस्लिम) और यह इशा की सलात के बाद पढ़ी जाएगी |

तरावीह की सलात या रात की कोई भी नफली सलात हो 13 या11रकअ़त है जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास की हदीस है किः (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात में तेरह रकअ़त पढ़ते था)(सहीह मुस्लिम-763)
और माई आइशा कहती हैं कि(अल्लाह के रसूल रमज़ान हो या रमज़ान के अलावह 11 रकअ़त से अधिक नहीं पढ़ते थे)(मुत्तफ़क़ अ़लैह)
ऊपर लिखी गई दोनों हदीसों से इसी बात का ज्ञान होता है कि रात की जो भी नफली सलात हो वित्र

के साथ 11 या 13 रकअ़त ही सुन्नत तथा अफज़ल है।

बुखारी शरीफ की एक हदीस के आधार पर कुछ उलमा का कहना है कि नबी की सुन्नत तो 11 या 13 ही है प्रन्तु वित्र के साथ इस से अधिक 23 या 36 या 41 भी पढ़ सकते हैं हदीस यह है कि (रात की सलात दो दो रकअ़त है अतः जब तुम में से किसी को सुबह हो जाने का खतरः लगे तो एक रकअ़त पढ़ ले यह उसके लिए पहले पढ़ी गई रकअ़तो को वित्र कर देगी) (मुत्तफक अ़लैह)

अगर कोई क़ियामुल्लैल(तरावीह की नमाज) इमाम के साथ पढ़ा तथा इमाम के साथ पूरी करके खतम किया तो उसे पूरी रात क़ियामुल्लैल का सवाब मिलेगा(सुनन अबूदाऊद)

मेरे मुसलमान उलमाए केराम ! हमें हर हाल में अल्लाह से डरते हुये अपने प्यारे नबी से साबित सुन्नतों को अपनाना तथा फैलाना चाहिये, और नबी की सुन्नत को छोड़ कर किसी उम्मती की बात पर तअस्सुब करना या फैलाना नादानी तथा मुसलमानों में फूट डालना है। आप जानते हैं कि

तरावीह जो कि ऐक नफली अमल है फर्ज़ नहीं तथा नबी के सही हदीस अनुसार अधिक से अधिक तेरह रकअ़त ही साबित है इस से अधिक नहीं और इतना ही पढ़ना सुन्नत है अगरचे उलमा ने इस से अधिक पढ़ने की इजाज़त दी है , मगार सभों ने अफज़ल नबी की सुन्नत को कहा है , प्रन्तु बीस रकाअ़त को नबी की सुन्नत कहना नबी पर तुहमत है जिसका जवाब कहने वाले को देना होगा और कोई सही हदीस से यह साबित नहीं कर सकेगा कि नबी ने बीस रकअत तरावीह की नमाज़ पढ़ी है तो अगर कोई वितर ले कर तेरह पढ़ता है या 11 तो आप उसको बुरा क्यों कहते हो अल्लाह से डरो तथा नबी की सुन्नत को अपनाओ और फैलाओ । बुरा न लगे ! बहुत सारे लोग मक्कह तथा मदीनह को दलील बना कर कहते हैं कि वहाँ भी तो बीस ही होती है ? तो हमें यह जानना चाहिये कि हमारे लिये दलील नबी की साबित सुन्नत है कोई स्थान या अदमी नहीं नबी के अतिरिक्त हर ऐक की बात ली भी जा सकती है तथा छोड़ी भी , खास तौर पर जब नबी की सही

हदीस से टकराये. दूसरी बात क्या मक्कह तथा मदीने में वैसे तरावीह की नमाज़ पढ़ाई जाती है जैसे अपने देशों में,अपने यहाँ न नमाज़ में इतमिनान न ही कुरआन की सही तरीक़े से तिलावत. बस जल्दी ही जल्दी जैसे मुरग़ा चोन्च मार रहा हो, माई आ़इशा नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रमज़ान की तरावीह के बारे में कहती हैं कि आप रमज़ान या इसके अलावह कभी भी 11 से अधिक नहीं पढ़ते तथा उन रकअतों की लम्बाई और खुबसूरती के बारे में क्या पूछना | (मुत्तफ़क़ **अलैह)**

4- क़द्र वाली रात(शबे क़द्र) का इहतेमामः

रामज़ान महीने की अन्तिम दस रातों की कोई मुबारक रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं. जिस में अल्लाह पाक ने कुरआन मजीद उतारा जिस में पूरे एक वर्ष की अच्छाई,बुराई तथा रोज़ियों का फैसेला होता है . जैसा कि अल्लाह ने फरमायाः

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

(उसी रात में हर अहम काम का फैसला होता है) सूरह दुखान-4

शबे क़द्र की इबादत हजार महीनों की इबादत से बेहतर है ,अल्लाह पाक ने इसी में कुरआन उतारा (लौहे महफूज़ से बैतुलइज़्जत में जो पहले आकाश पर है उतारा.और वहाँ से आवश्यकता अनुसार लग भग 23 वर्षों में नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर उतारता रहा) तथा इसी में जिब्राईल तथा उन के संग कंकड़ियों से अधिक फरिशते जमीन पर दया, बरकत, भलाई ले कर उन कामों को करने के लिए उतरते हैं जिनका फैसला इस वर्ष में अल्लाह पाक फरमाता है.यह रात साक्षात्(सरासर)शान्ति की होती है और फज्र के निकलने तक हो ती है। अल्लाह पाक ने फरमायाः لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر
[शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है](सूरह क़द्रर-3) अर्थात इस एक रात की इबादत 83 वर्ष4 महीने की इबादत से बेहतर है।

शबे क़द्र रमज़ान के अन्तिम दस रातों की ताक़ रातों में है यानी 21-23-25-27-29 की रातों में से किसी एक में है। रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया है : (क़द्र वाली रात

रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में तलाश करो) (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

दूसरी हदीस में है कि : (क़द्र वाली रात रमज़ान के अन्तिम दस दिनों की ताक(बेजोड़) रातों में तलाश करो) (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

उबादह बिन सामित की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें क़द्र वाली रात बताने के लिये निकले इतने में मुसलमानों में से दो आदमियों ने आपस में तू तू मैं मैं करना शुरू कर दिया तो आप सल्लल्लाहू अ़लैहि वसल्लम के दिल से क़द्र की रात किस दिन है भुला दिया गया (सही बुखारी)

क़द्र वाली रात हर वर्ष रमज़ान के अन्तिम दस दिनों की रातों में बदलती रहती है अधिक अनुमान है कि यह ताक़ रात में होती है।(क़ाज़ी अ़याज़, इमाम मालिक, सौरी, अह़मद. इसहाक़ अबूसौर, इब्ने हजर,शैख इब्ने बाज रह़ेमहुमुल्लाह अ़लैहिम की यही राय है।

शरहनव्वीभाग : 8 पेज 306,फतहुल बारी.इब्ने हजर, भाग : 4 पेज 266)

प्रन्तु जो आदमी अपने देश में चाँद देखने के अनुसार रमज़ान की अन्तिम दस रातें अल्लाह की इबादत में गुजारेगा वह जरूर क़द्र वाली रात पा लेगा। अल्लाह ने अपने बन्दों पर दया करते हुए इसे छिपा रखा है ताकि लोग इसे पाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें अगर बता देता कि किस रात है तो लोग केवल उसी रात इबादत करते और जब नहीं जानेंगे तो सारी रातें इबादत करेगें जिस से उनका सवाब अधिक हो जायेगा।

लैलतुल क़द्र (शबे क़द्र)की कुछ निशानियाँ

1- उस दिन सूर्य चौंदहवीं रात के प्रकार साफ उदय होगा प्रन्तु ऊपर चढ़ने तक उस में किरणें नहीं होंगी। (सही मुस्लिम ह०न०1767 सही सुनन अबूदाऊद भाग : 1 पेज 360 ,सही सुनन तिरमिज़ी भाग : 1 पेज 417)

2- वह रात न बहुत ठंडी न बहुत गरम होगी बल्कि दरमियानी होगी उस दिन सूर्य धीमी लाली लिये निकलेगा,उस रात तारे नहीं टूटेंगें,सारे सितारे चमकते दिखेंगें, फज्र तक शैतान के दोनों सींग नहीं ज़ाहिर होंगे।

(इब्ने खुज़ैमह,ह॰न॰ 2190, जामेअ़ सहीह ,अलबानी ह॰न॰ 5351, फतहुलबारी.इब्ने हजर,भाग : 4 पेज 260)

शैख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अ़लैह ने यह निम्न निशानियाँ बयान किया है :

वह रात पुरनूर तथा चमकदार होगी ,दूसरी रातों के हिसाब से उस रात मोमिन अधिक सुकून तथा इतमिनान महसूस करेगा , हवायें धीमी चाल से चलेंगीं आँधी तूफान नहीं होगा वातावरण दिलरुबा और मनोहर होगा,उस रात मोमिन क़ियामुल्लैल में अधिक स्वाद तथा लज़्जत महसूस करेगा,अन्य दिनों के प्रकार उस दिन सूर्य नहीं उदय होगा बल्कि साफ सुथरा और बिना किरणें उदय होगा ,याद रहे हो ! सकता है कि इन निशानियों को कोई महसूस करे तथा दूसरा महसूस न करे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उस वर्ष लैलतुलकद्र नहीं है या रमज़ान के अन्तिम दस रातों में अल्लाह की इबादत में मेहनत न करे | इसी प्रकार अगर किसी को इसके पाने का इहसास हो तो उसे छिपाना चाहिये किसी से बयान नहीं करना चाहिये |

लोगों में जो यह बात प्रसिद्ध है कि शबे क़द्र 15शाबान की रात है तो यह बात बिल्कुल गलत है,बल्कि यह रमज़ान में है ,क्योंकि क़ुरआन मुबारक रात में उतारा गया अल्लाह पाक ने फरमाया :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (سوره دخان)

(हम ने इसे मबारक रात में उतारा निःसंदेह हम डराने वाले हैं | (सूरः दुखान-3)

तथा इस मुबारक रात से मुराद क़द्र वाली रात है अल्लाह ने फरमायाः

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (سورة القدر)

(हमने इसे क़द्र वाली रात में उतारा (सूरःक़द्र -1)

और यह क़द्र वाली रात रमज़ान में है न कि शबान में क्यों कि क़ुरआन रमज़ान के महीने में उतारा गया जैसा कि अल्लाह ने फरमायाः

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥]

(रमज़ान का महीना वह है,जिस में क़ुरआन उतारा गया,(सूरह बकरः - 185)

मेरे मुसलमान भाई बहनों ! इस्लाम में शबे बरात के नाम से कोई रात नहीं है तथा 15 शाबान की रात में खास तौर पर कोई भी इबादत प्यारे नबी

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित नहीं है इस सिलसिले में जो कुछ कहा जाता है वह सब ज़ईफ या घढ़ी हुई बातें है , आप इस रात अल्लाह की क्षमा चाहते हैं तो तौहीद अपना कर शिर्क छोड़ दें तथा अपने दिल से मुसलमानों का कीना कपट छल निकाल दें । याद रखें शबे बरात मनाना खुराफात,बिदअत है,इस दिन या इस रात कोई खास इबादत जैसे रोज़ह रखना,नफलें पढ़ना, क़बरों की ज़ियारत करना,सदके करना या पकवान पकाना ,मस्जिदों या सड़कों का चिरागाँ करना, फातिहा वगैरह करना अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी है । हमा रे नबी से खास कर इस दिन या इस रात कोई खुसूसी इबादत सही हदीस से साबित नहीं है ।अल्लाह हमें बिदअतों से बचाए आमीन

इस लिए रमज़ान के अन्तिम दस रातों में अधिक से अधिक अल्लाह की इबादत करनी चाहिये तथा अपने संतान ,अहल व अयाल को भी विशेष रूप सेइस पर उकसाना चाहिये , आ़इशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं [जब रमज़ान के अन्तिम दस दिन

प्रारंभ होते तो रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर कस लेते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे] (बुखारी व मुस्लिम)

दूसरी हदीस में है कि : (जिसने कद्र वाली रात में कि़याम-नफली नमाज़-किया उसके पिछले पाप क्षमा कर दिये जायेंगें) (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

कद्रर वाली रात पूरे साल की अफज़ल तथा मुबारक रातें हैं

शबेक़द्र की दुआ़ :

शबेक़द्र में अधिक से अधिक दुआ़ करनी चाहिये क्यों कि इसमें दुआ़ ज्यादा स्वीकार होती है | माई आ़इशह ने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लाम से पूछा अगर मुझे अनुभूत हो जाये कि यह रात कद्र की रात है तो मैं क्या कहूँ ? आप ने आदेश दिया कहोः

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "

अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल् अफ़वा फअ़फु अन्नी

(या अल्लाह तू क्षमा करने वाल है क्षमा करना पसन्द करता है तू मुझे क्षमा करदे) (सुनने इब्ने माजह)

याद रहे कि !

शबेक़द्र से महरूमी तथा वंचन प्रत्येक खैर और भलाी से महरूमी है तथा इस से असफल ही महरूम होगा (सही इब्ने माजह. अल्बानी.भाग : 2 पेज 456)

नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों मैं जितनी मेहनत करते थे किसी अन्य दिन में नहीं (सही मुस्लिम ह॰न॰ 1166)

जब रमज़ान के अन्तिम दस दिन प्रारंभ होते तो आप पूरी रात इबादत में जागते,अपने घर वालों को जगाते,प्रयास करते तथा अपनी कमर कस लेते । (अल्लाह की इबादत के लिये कोशिश करते तथा अपनी बीवियों से अलग हो जाते । (मुत्तफ़क़अ़लैह)

जिसने ईमान तथा सवाब के इरादे से लैलतुलक़द्र में क़ियामुल्लैल यानी तरावीह पढ़ी

उसके पिछले पाप क्षमा कर दिये जायेंगें (मुत्तफ़क़अ़लैह)

शबेक़द्र पूरे वर्ष की रातों में सब से अफज़ल रात है, जुमा की रात हफते की रातों में सब से अफ़ज़ल रात है, साल के दिनों में सबसे अफ़ज़ल दिन 9 तथा10 ज़िल्हिज्जह है, ज़िल्हिज्जह के शुरू के दस दिन रमज़ान के अन्तिम दस दिनों से अफ़ज़ल हैं, रमज़ान की अन्तिम दस रातें ज़िल्हिज्जह की अन्तिम दस रातो से अफ़ज़ल हैं(जादुल्मआद, इब्ने क़य्यिम भाग1पेज56-58)

5- मिसकीनों, कंगालों, निर्धनों तथा अन्य लोगों को खना खिलानाः

अ़ब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि इस्लाम में कोन सा कार्य बेहतर है ? आप ने फरमाया : [खाना खिलावो तथा हर उस आदमी से सलाम करो जिस को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो] (बुखारी व मुस्लिम)

6- सौम(रोज़ा) रखने वालों को इफ्तार करानाः

अल्लाह के रसूल ने फरमाया : [जिस ने किसी

(सौम)रोज़ा रखने वाले को इफ़्तारर कराया तो उसके लिए बिना रोज़ा रखने वाले के फल(सवाब) में कमी के उसके सवाब के समान सवाब होगा] (सही हुलजामे-6415)

7- एअ़्तिकाफ़ करनाः एअ़्तिकाफ़ का अर्थ है अल्लाह की इबादत की निय्यत से किसी का विशिष्ट तथा खास शर्तों के साथ खास हालत पर खास समय में ऐसी मस्जिद में ठहरना जिसमें जमाअ़त के साथ सलात अदा की जाती हो।

एअ़्तिकाफ़ की शर्तें :

1- इस्लाम ***2-*** बुद्धि ***3-*** तमीज़ जो बालिग़ न हो प्रन्तु तमीज की उमर हो जो कि सात वर्ष है ***4-*** निय्यत ***5-*** मस्जिद ***6-*** एसी मस्जिद जिसमें जमाअ़त के साथ सलात अदा की जाती हो।

7- बडी नापाकी से पाकी।(अस्सियाम फिल इस्लाम, सईद क़हतानी, 450-452)

एअ़्तिकाफ़ सुन्नत है प्रन्तु अगर नज़र माना है तो वाजिब होगा। अल्लाह पाक ने फरमायाः

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [سورة البقرة]

(और बीवियोंसे उससमयहमबिस्तरी न करो जब कि तुम मस्जिद में एअ्तिकाफ में हो) सूरह बक़रह, 187 हदीस में है कि (नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में ऐतेकाफ करते थे यहाँ तक कि आप का देहाँत हो गया फिर आपके बाद आप की पत्नियों ने एअ़तेकाफ किया) (मुत्तफ़क़अ़लैह)

इस का सुबूत कुरआन तथा हदीस से है अथवा यह वह इबादत है जिस में विभिन्न इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं जैसे कुरआन की तिलावत, नमाज़, ज़िक व अज़कार, दुआ़, नफली सलातें, तौबा, इसतिग़फ़ार आदि ।

और सारे उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि एअ्तिकाफ केवल उसी पर वाजिब है जो नज़र मान कर अपने ऊपर वाजिब करले. (मुग़नी, इब्ने कुदामह भागः 6 पेज407)

एअ़्तिकाफ़ वह महत्वपूर्ण इबादत तथा उपासना है जिस में एअ़्तिकाफ़ करने वाल अपना शरीर, दिल, प्राण सम्पूर्ण रूप से अल्लाह की इबादत के हावले कर देता है ताकि उसे अल्लाह की खुशी तथा प्रसन्नता मिल जाये , उसे स्वर्ग दे दे, उसके पद को

बढ़ा दे,और वह संसार के काम काज से बिल्कुल अलग थलग हो जाये इसी कारण हमें इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करनी चाहिये।

एअ्तिकाफ़ के सही होने के लिए निय्यत तथा ऐसी मस्जिद का होना शर्त है जिस में जमाअ़त के साथ सलात अदा की जाती है , एअ़तिकाफ़ घंटा दो घंटा के लिए भी हो सकता है तथा एक दिन एक रात भी। (शरहुल उमदह. इब्ने तैमिय्यह,भागः 2 पेज 751.अलफुरूअ़.इब्ने मुफ़लेह़ भाग : 5 पेज 143) वैसे रमज़ान के अन्तिम दस दिनों मे एअ्तिकाफ़ करना अफ़ज़ल है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसा सदेव किया है बल्कि एक वर्ष की क़ज़ा भी की है तथा इस इबादत पर आप ने उभारा भी है और आप के बाद आप की बीवियों ने भी एअ्तिकाफ किया है। (देखें,सही बुखारी ह॰न॰ 2026 -2923 -2016 सही मुस्लिम ह॰न॰ 1171-1173- 1167 सुनन तिरमिज़ी ह॰न॰ 803)

जब कोई मुसलमान रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में एअ्तिकाफ़ करना चाहे तो वह एअ्तिकाफ के स्थान में 20 रमज़ान को सूर्य डूबने से पहले

दाखिल हो जाये ताकि 21 की रात अपने एअ़्तिकाफ के स्थान में पा जाए (शरह उमदतिल अहकाम भागः 2 पेज 779)
और एअ़्तिकाफ के स्थान से ईद की रात सूर्य डूबने के बाद निकल सकता है और अगर चाहे तो ईद की सलात के समय निकले (मुगनी,इब्ने कुदामह भाग : 4 पेज 590)

एअ़्तिकाफ़ में बैठने वाले को चाहिये कि वह अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली कर ले और उन समय के अतिरिक्त जिन में सलात(नमाज़)पढ़ने से रोका गया है अधिक से अधिक सलात(नमाज़) पढ़े चिन्तन के साथ अधिक कुरआन की तिलावत करे, अल्लाह का ज़िक्र , अज़कार करे दुआ़ करे अल्लाह से तौबा करे,क्षमा याचना तथा इस्तिग़फार करे ,बेकार बातों तथा कामों और देखावा से बचे |

एअ़तिकाफ़ में बैठने वाला अपनी हर ऐसी ज़रूरत के लिए मस्जिद से निकल सकता है जिसके लिए निकलना जरूरी है | जैसे पाखाना पेशा,वुज़ू , स्नान करना. खाने पीने के लिए अगर उसके पास

कोई खाना लाने वाला न हो , जुमा की सलात के लिए,अनिवार्य गवाही देने के लिए,अपने या अपने संतान के बारे में फितने के ड़र से, बीमारी. महिला का हैज़ या निफास आजान , पति के देहाँत की इद्दत के लिये (मुगनी,इब्ने कुदामह भाग : 4- पेज 465 से 469) इस से उसका एअ़्तिकाफ भंग नहीं होगा।(शरहुल उमदह,इब्ने तैमिय्यह,भागः 2 पेज 802- 842)

जनाज़ह में जाने के लिए या रोगी का हाल चाल लेने के लिए या पिता की जियारत के लिये मस्जिद से नहीं निकल सकता , हाँ अगर उसने शुरू में इसकी शर्त लगा ली है तब जा सकता है (शरहुल उमदह,इब्ने तैमिय्यह,भाग : 2 पेज 810)

बाजार में तेजारत के लिये,पत्नी से संभोग करने के लिये, नहीं निकलेगा और अगर निकलेगा तो उसका एअ़्तिकाफ भंग हो जायेगा। (मजालिस शहर रमज़ान,इब्ने उसैमीन-245-246)

एअ़तेकाफ में बैठने वाला मस्जिद में अपने लिये छोटा खेमा लगा सकता है या कोई स्थान खास कर सकता है ।

एअ़्तिकाफ में बैठने वाले की पत्नी बात चीत करने तथा हाल चाल जानने के लिए पति के पास मस्जिद में आजा सकती,तथा आवश्यकतानुसार घर तक वह ला कर पहुँचा सकता है जैसा कि सफ़िय्यह रज़ियल्लाह अन्हा कै हदीस में है | (मुतफक़्अ़लैह)

एअ़्तिकाफ में बैठने वाला इमामत कर सकता है तथा जुमा का खुतबा भी दे सकता है

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल ने अपने देहांत तक एअ़्तिकाफ किया है | रमज़ान के अन्तिम दस दिन में एअ़्तिकाफ करते थे परन्तु जिस वर्ष देहांत हुवा आप ने बीस दिन का एअ़्तिकाफ किया (सही बुखारी)

पति की अनुमति के बाद अगर फितने का खतरा ना हो तथा उनके लिए पुरुषों से अलग खेमा हो तो महिलायें भी मस्जिद में ऐतेकाफ कर सकती हैं घर में नहीं क्यों कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियाँ मस्जिद में एअ़्तिकाफ़ करती थीं | (सही बुखारी -2033)

घर में जो नमाज़ पढ़ने के लिये स्थान खास कर लिया है वह मस्जिद नहीं है क्यों कि उसे बेचा जा सकता है तथा अपने अन्य कार्य में प्रयोग किया जा सकता है, उसमें हैज़ व निफास वाली महिला सो सकती है आदि इस लिये जो लोग कहते हैं कि घर की मस्जिद में औरत एअ्तिकाफ़ कर सकती है सही नहीं है।

❀ बिना जरूरत जान बूझ कर मस्जिद में एअ्तिकाफ के स्थान से निकलने,हमबिसतरी करने, नशे से बेहोश होने.इस्लाम से निकल (मुरतद हो जाने से)एअ्तिकाफ़ बातिल तथा भंग हो जाये गा। (मुगनी,इब्ने कुदामाह भाग : 4 पेज 628)

❀ इस्तेह़ाज़ह वाली औरत (जिस की माहवारी खराब हो) मस्जिद में एअ्तिकाफ़ कर सकती है क्यों कि वह पाक औरत के प्रकार है प्रन्तु मस्जिद की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। अल्लाह के रसूल की कुछ ऐसी बीवियाँ आप के साथ एअ्तिकाफ करती थीं। (सही बुखारी,ह॰न॰2037)

❀ मस्जिद में खाना पीना जायज़ है.अब्दुल्लाह बिन् हारिस कहते हैं कि : हम लोग अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में रोटी तथा मास खाते थे।(इब्ने माजह ह॰न॰3300)

❁ एअ़्तिकाफ़ में पत्नी अपने पती के सिर धो सकती है तथा कंघी कर सकती है ,माई आइशा कहती हैं कि मैं हैज़ से होती आप एअ़्तिकाफ़ की हालत में अपने सिर हमारी ओर निकालते और मैं उसे धुल देती। **(मुत्तफ़क़ अ़लैह)**

एअ़्तिकाफ़ को बातिल तथा भंग कर देने वाले काम

1-जान बूझ कर बिना ज़रूरत मस्जिद या उस स्थान से निकलना जहाँ एअ़्तिकाफ़ में बैठा है , क्यों कि आप जब ऐतेकाफ करते तो बिना ज़रूरत घर में दाखिल नहीं होते थे।(मुत्तफ़क़ अ़लैह)

2-हमबिस्तरी चाहे रात ही में क्यों न हो तथा मिस्जद के बाहर ही क्यों न हो अल्लाह ने फरमायाः

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [سورة البقرة]

(और बीवियों से उस समय हमबिसतरी न करो जब कि तुम मस्जिद में एअ़्तिकाफ़ में हो) (सूरह बक़रह,187)

प्रन्तु रात में करने से केवल एअ्तिकाफ़ भंग होगा कफ्फराह वाजिब नहीं होगा । (मुग़नी,इब्ने कुदामह भाग : 4 पेज474)

3- नशा । (मुग़नी,इब्ने कुदामह भाग : 4 पेज474)

4- इस्लाम से मुरतद हो जाना ।

कुछ नफ़ली रोजे

इस्लाम में नफ़ली इबादतों की बड़ी महत्तव है और खास तौर पर रोज़े की क्यों कि क़ियामत के दिन नफ़ली रोज़ों से फर्ज़ रोजों की कमी पूरी की जाये गी,यह नर्क से बचाव के लिये ढ़ाल होगा आदि, इस लिए हमें अधिक से अधिक नफ़ली रोज़े रखने चाहिये ,हम निम्न में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ साबित नफ़ली रोजों को लिख रहे हैं ।

1- शव्वाल के छ(6) रोज़े : अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के

छ(6) रोज़े रखे तो उसके लिए ऐेक वर्ष रोज़े रखने के प्रकार होगा (सही मुस्लिम,ह॰न॰1464)

2- ज़िलहिज्जह के महीने के शुरू के दस दिन के रोज़े :

इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः इन दस दिनों के बनिसबत कोई दिन नहीं है जिनका नेक कर्म अल्लाह को उतना पसन्द हो जितना इन दिनों का, सहाबा ने कहाः अल्लाह के मार्ग में जेहाद भी नहीं ? आप ने फरमायाः अल्लाह के मर्ग में जेहाद भी नहीं सिवाय उस आदमी के जो अपनी जान,धन ले कर निकला तथा कुछ ले कर वापस न हुवा(शहीद हो गया)| (सही बुखारी,ह॰न॰969)

3- हज्ज पर जाने वालों के अतिरिक्त अरफह 9 ज़िलहिज्जह का रोज़हः रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः मुझे अल्लाह से आशा है कि इस से ऐेक वर्ष आगे तथा ऐेक वर्ष पीछे के(दो वर्ष) पाप क्षमा कर देगा (सही मुस्लिम,हःनः1166)

4- मुहर्रम के महीने का रोज़हः रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः रमज़ान के बाद सब

से अफ़ज़ल रोज़ह अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ह है और फर्ज़ नमाज़ के बाद सब से अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है। (सही मुस्लिम,ह॰न॰1163)

5- 9-10 मुहर्रम का रोज़हः रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः आ़शूरा के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह से आशा है कि इस से पिछले वर्ष का पाप क्षमा कर देगा | (सही मुस्लिम,ह॰न॰ 1162)

6- शअ़बान के महीने में 15 शअ़बान से पहले अधिक से अधिक रोज़े रखना क्यों कि अल्लाह के रसूल इस महीने में अधिक से अधिक रोज़े रखते थे (मुत्तफ़क़ अलैह)

7- हर सोमवार तथा जुमेरात के दिन रोज़े रखनाः रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः ००००००० यह वह दो दिन हैं जिन में अल्लाह के पास अमल पेश किये जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश किये जायें और मैं रोज़े से रहूँ , (अबूदाऊद हःनः2436)

ध्यान दें !अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया : सोमवा तथा जुमेरात के दिन स्वर्ग (जन्नत)के दरवाज़े खोले जाते हैं तथा हर उस मुस्लिम को क्षमा कर दिया जाता है जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता,सिवाय उस आदमी के जिसके दिल में अपने (मुसलमान) भाई का कीना कपट हो, कहा जाता हैः इन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में दोनों समझवता कर लें,इन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में दोनों समझवता कर लें,इन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि आपस में दोनों समझवता कर लें,(सही मुस्लिम,ह॰न॰ 2565) अल्लाह हमारे दिल को हर मुसलमान के बारे में साफ रखे ,आमीन

8- अरबी महीने के अनुसार दिनाँक13-14-15 अय्यामे बीज़ का रोज़ह, यह ऐेक वर्ष रोज़े के बराबर है (अबूदाऊद,ह॰न॰2449)

इन नफली रोजो़ं में इख्लास हो देखावा न हो,और जरूरत के हिसाब से मेहमान आने पर,अगर कोई खाने की दावत दे और दावत देने वाले को न खाने पर बुरा लगे तो नफली रोज़ह तोड़ दें,औरत का

पति अगर मौजूद है तो बिना उसकी अनुमति के नफली रोज़ह न रखे । अल्लाह पाक हमें इख्लास के साथ अधिक से अधिक नफली रोजे रखने की तौफ़ीक़ दे आमीन ।

निम्न दिनों में रोज़ह रखना हराम है !

1- ईदुलफित्र तथा ईदुलअज़हा(ईद,बक़रईद)के दिन, (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

2- अय्यामे तशरीक़ 11,12,13 ज़िलहिज्जह के दिन (सही मुस्लि,ह॰न॰1142)

3- शक के दिन और यह30 शअ़बान का दिन है,(अबूदाऊद,ह॰न॰2334)

4- केवल जुमा के दिन या केवल सनीचर के दिन अरफह के रोज़े के सिवाय नफली रोजह रखने को उलमा ने मकरूह कहा है अगर कोई रखना चाहता है तो आगे या पीछे के दिन मिला ले (शरहुल मुमतेअ़ भाग 6पेज479)

सदक़ए फ़ित्र(फितरानः)

सदक़एफ़ित्र प्रत्यक रमज़ान पूरे करने वाले बालिग़ नाबालिग़ आज़ाद, गुलाम मुसलमान स्त्री तथा पुरुष

सब पर बराबर अनिवार्य तथा वाजिब है चाहे उसने सौम(रोज़ा) रखा हो या न रखा हो।

अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा कहते हैं किः [नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान का सदक़ए फित्र एक साअ़ खुजूर या एक साअ़ जव आज़ाद,गुलाम,महिला ,पुरुष, छोटे तथा बड़े मुसलमान पर अनिवार्य किया है] (बुखारी,मुस्लिम)

एक साअ़ लग भग ढाई किलो ग्राम होता है जो ईद की रात सूर्य डूबने के बाद अनिवार्य होता है।

सदक़्-ए-फ़ित्र अनिवार्य(वाजिब)होने की शर्तें :

<u>***1-***</u> इस्लाम <u>***2-***</u> मालदारी अर्थात जिसके पास ईद के दिन और उसकी रात अपनी तथा अपने संतान या जिनका खर्च उसके ऊपर है और असल ज़रूरत से अधिक ढाई किलो हो।

<u>***3-***</u> समय का प्रारंभ हो जाना,इसका समय ईद की रात सूर्य का डूब जान है।

सदक़्-ए-फ़ित्र अनिवार्य होने की हिक्मत(नीति)

सदक़्-ए-फ़ित्र अनिवार्य होने की बहुत सी हिक्मतें(नीतियाँ)हैं जैसे :

1- सौम(रोज़ा) रखने वाले को व्यर्थ तथा बेकार बातों से पवित्र करना अतः सौम(रोज़ा) की कमी इस से दूर हो जाती है।

2- मिस्कीन ,कंगाल लोगों के भोजन का प्रबंध तथा ईद के दिन उन्हें भिक्षा(भीक)माँगने से बचाना और उनके दिल में प्रसन्नता डालना ताकि ईद सारे लोगों के लिए खुशी का दिन हो ।

3- मुसलमानों के सभी वर्गों की हमदरदी ताकि सभी लोग एक संग खुशी मनाऐं ।

4- उसके समय में हकवालों तक पहुँचा कर बड़ा सवाब प्राप्त करना ।

5- अल्लाह ने सौम(रोज़ा)रखने वालों को पूरे महीने सौम(रोज़ा)रखने का अवसर दिया इस दया तथा नेमत पर अल्लाह का आभार अदा करना । इसके अतिरिक्त अनेक लाभ हैं ।)

सदक़ए फित्र अनिवार्य(वाजिब) होने का समयः

सदक़ए फित्र रमज़ान के अन्तिम दिन सूर्य डूबने के पश्चात अनिवार्य होता है अतः अगर कोई ईद की रात सूर्य डूबने के बाद पैदा हो तो उस पर फित्रा नहीं है इसी प्रकार अगर रमजान के अन्तिम

दिन सूर्य डूबने से पहले मर जाये तो उस पर भी फित्रा नहीं है ।

सदक़ए फित्र निकालने का समय ।

ईद से एक दिन या दो दिन पहले निकालना जायज़ है हाँ , ईद के दिन ईद की सलात(नमाज़) से पहले निकालना अफ़ज़ल तथा अनिवार्य , है और अगर किसी ने ईद की सालत के बाद बिना किसी दीनी कारण तथा शरई उजुर निकाला तो उसका फित्रा अदा नहीं होगा बल्कि यह आम दान हो जायेगा । क्यों कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्म ने ईद की सालात के लिए निकलने से पहले अदा करने का आदेश दिया है ।(मुत्तफक़ अ़लैह)

तथा अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया है किः (लोग ईद से एक दिन या दो दिन पहले देते थे)(सही बुखारी,1511)

अगर किसी ने ईद की सलात के बाद बिना किसी उजुर के निकाला तो उसका फित्रा अदा नहीं होगा और यह आम दान हो जायेगा । (अबूदाऊदईः1609)

इस लिए प्रत्येक मुसलमान को हर इबादत इख्लास के

साथ उसी समय पर करना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने निर्धारित किया है ।

सदक़ए फित्र की मिक़्दारः

शहर का आम खूराक जो लोग खाते हैं हर एक की ओर से 2 किलो 500ग्राम या एक आदमी के चुल्लू से चार चुल्लू ।

सदक़ए फित्र में क्या निकाला जाये :

सदक़ए फित्र में केवल उन चीज़ों का निकालना सही है जो अधिकतर मनुष्यों की खूराक है यानी गल्ला । अल्लाह के रसूल ने इसी का आदेश दिया है तथा सहाबए किराम ने ऐसा ही किया है,नक़्द रूपये पैसे निकालना सही नहीं है क्यों कि ऐसा करना कुरआन और हदीस से साबित नहीं है । अगर किसी ने सदक़ए फित्र का मूल्य अथवा क़ीमत निकाला तो उलमा के सही मत अनुसार फित्रा अदा नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना रसूल की सुन्नत की मुखलिफ़त है ।

सऊदी अ़रब की फतावा कमीटी ने लिखा है किः(सदक़ए फित्र नक़्द निकालना जायज़ नहीं है क्योंकि दलीलों से यह साबित होता है कि गल्ला निकाला

जाये तथा किसी की बात को ले कर शरई दलील नहीं छोड़ी जायेगी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि :)(जिसने मेरे इस दीन में कोई नया काम गढ़ा जो दीन से नहीं है तो वह ठुकराया हुवा काम है)(फतावा लजनह दाइमह भाग9-379)

सदक़ए फित्र केवल कंगाल तथा निर्धन को दिया जायेगा उनके अतिरिक्त किसी अन्य को देना उचित नहीं है इस लिए जहाँ फित्रा निकालने वाला है वहाँ अगर कंगाल और मिसकीन पाये जाते हैं तो उन्ही को देगा किसी अन्य देश या स्थान भेजना सही नहीं है हाँ अगर वहाँ फक़ीर तथा मिस्कीन न पाये जायें तब किसी ऐसी स्थान भेजा जायेगा जहाँ इसके लेने वाले हैं ।

आदमी अपनी तथा हर उस आदमी का फित्रा निकालेगा जिसका खरचा उसके ऊपर है जैसे बेवी बच्चे,मातापिताआदि(फतावाइब्नेबाज़,भाग : 14 पेज 199)

ईद के कुछ आदाब

स्लाम धर्म में केवल दो ईद है,एक ईदुल्फ़ित्र जो रमज़ान के बाद एक शव्वाल को होती है दूसरी

ईदुल्अज़्हा(बक़रईद) जो दस ज़िल्हिज्जह को है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में कोई अन्य ईद नहीं है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनह मुनव्वरह आये तो आप ने देखा कि मदीनह वाले दो दिन खेल कूद करते हैं तो आप ने पूछा (यह दो दिन कैसे हैं ? लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग जाहिलिय्यत के समय में इन दिनों में खेला करते थे, जिस पर रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह ने तुम लोगों को इसके बदले इस से उत्तम तथा महान दिन दिया है,ईदुल्अज़्हा का दिन तथा ईदुल्फित्र का दिन)(सही सुनन अबूदाऊदः113

अतःइन दोनों ईदों के अतिरिक्त कुछ मुसलमानों ने दूसरे धर्म वालों से प्रभावित होकर नाना प्रकार की ईदें गढ़ ली हैं उदाहरणतः ईद मीलादे नबी,ईद वफ़ात नबी,ईद मेअ़राजे नबी, ईद शबेबरात आदि। जब कि इन ईदों का इस्लाम धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस लिये मुसलमानों को इस से बचना चाहिए। हम निम्न में ईद के कुछ आदाब लिख रहें हैं समस्त मुसलमानों से निवेदन हैं कि इसे अपनायें !

1- ईद का चाँद देखने के बाद अधिक से अधिक तक्बीर कहनी चाहिये,तक्बीर के शब्द यह हैं : **अल्लाहुअक्बरअल्लाहु अक्बर लाइलाहा इल्लल्लाहा वल्लाहुअक्बर अल्लाहुअक्बर वलिल्लाहिल् ह्म्द)** (इरवाउलग़लील भाग : 3 पेज 12

2- ईद के दिन स्नान करना, धर्म अनुसार बनाव सिंगार करना,बिना दुरुपयोग(फुजूल खर्ची) अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना (पुरुषों का कपड़ा टखने के ऊपर रहेगा) पुरुषों का सुगंध तथा खुशबू लगाना सुन्नत से साबित है। (सह़ी बुखारी-948–

3- ईदुल्फ़ित्र के दिन खुजूर खा कर ईदगाह जाना सुन्नत है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते है कि : (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम बिना कुछ खुजूर खाये नहीं निकलते थे) तथा दूसरी हदीस में है कि (आप ताक़ (बेजोड़) खाते थे यानी 3-5-7-9 आदि)(सही बुखारी- 953)

और ईदुल् अज़्हा के दिन ईदगाह से वापस आकर खाना सुन्नत है,बुरैदह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि (कुर्बानी के दिन रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम उस समय तक नहीं खाते थे जब

तक - ईदगाह - से वापस न आ जाते थे (सही सुनने इब्ने माजह-1434)

4- ईद के दिन धर्म अनुसार खुशी मनाना धर्म की निशानी है अतः उस दिन उचित खुशियाँ मनाना,जायज़ खेल कूद करना, इस्लामी लोरियाँ तथा गीतें पढ़ना,इस्लामी गीतों का मुशाएरह करना, अपने बच्चों के लिए जायज़ एवं मनमोहक खेल कूद का प्रबन्ध करना जायज़ है |

5- ईद के दिन ईदगाह पैदल जाना अना चाहिये तथा ईद की सलात(नमाज़) मैदान- ईदगाह- में पढ़ना चाहिये,अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फित्र तथा ईदुल्अज़हा में ईदगाह जाते थे। (सही बुखारी व मसिलम)

हाँ ज़रूरत के समय मस्जिद में भी ईद की सलात पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ,इसी प्रकार इस्लामी प्रदा का प्रबन्ध करके औरतों को ईदगाह ले जाने का आदेश दिया है चाहे वे हैज़ की हालत में ही क्यों न हों , वे सलात से अलग रहैंगी तथा मुसलमानों की दुआ मे शामिल

रहेंगी | इसी प्रकार किसी बाधा के समय सवारी से भी जा सकते है |

6- ईद के दिन सुबह तड़के निकलना चाहिये अबू उमैर बिन अनस ने बयान किया है कि (कुछ लोगों ने चाँद देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप ने उन्हें दिन चढ़ने के बाद कुछ खाने और सुबह तड़के ईद के लिए निकलने का निर्देश दिया | (सही सुनन नसई ह॰न॰1556)

7- ईदगाह में ईद की सलात से पहले कोई सलात नहीं है ,अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल्फित्र के दिन निकले और ईद की सलात दो रकअत अदा की उस से पहले या उस के बाद कोई सलात न पढ़ी (मुत्तफ़क़ अलैह) हाँ अगर ईद की सलात मस्जिद में पढ़ने के लिए गये हैं तो तहिय्यतुल् मस्जिद पढ़ लेंगे |

8- दोनों ईद की सलात के लिये अज़ान तथा इक़ामत नहीं है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

हमें खुत्बह से पहले बिना अज़ान तथा इक़ामत के सलात पढ़ाई (सही सुनन नसई-6155)

9- ईद का समय चाशत(सूरज ऊपर होने) के समय तक है | यज़ीद बिन हूमैर रहबी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन बुस्र लोगों के साथ ईदुल्फित्र या ईदुल्अज़हा में निकले तो उन्हों ने इमाम के देर से आने को नापसन्द किया तथा कहा कि हम लोग इस समय ईद की सलात पढ़ चुके होते थे , और वह समय(कराहत का समय निकलने के बाद) नफ़्ली सलाह का समय था | (सही सुनन अबूदाऊद-113)

10- ईद की सालात ईद के खुत्बह से पहले पढ़ी जायेगी,इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : (अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम,अबू बक्र,उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों ईद की सालत खुत्बह से पहले पढ़ते थे (सही सुनन नसई -1563)

11- दोनों ईद की सलात केवल दो रकअत है(सही सुनन नसई-156)

ईद की सलात इस प्रकार पढ़ी जायेगी !

इमाम तक्बीर तहरीमह(पहली बार अल्लाहु अक्बर कहने) के बाद पहली रकअ़त में दुआए-सना फिर सात बार अल्लाहु अक्बर कहे और पीछे वाले भी उस के साथ कहते रहें फिर इमाम आवाज़ के साथ सूरह फातिहा पढ़े और पीछे वाले भी धीरे धीरे बिना आवाज़ के उसके साथ सूरह फ़ातिहा पढ़ें ,फिर इमाम ऊँची आवाज़ के साथ सूरह अअ़ला पढ़े फिर रुकूअ़ तथा सजदे करे ,फिर दूसरी रकअ़त के लिए खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ने से पहले पाँच बार अल्लाहु अक्बर कहे,फिर सूरह फ़ातिहा और सूरह ग़ाशियह पढ़े फिर रुकूअ,सजदह और तशह्हुद के बाद दोनों ओर सलाम फेरे। ईद की सलात में पहली रकअ़त में सात बार और दूसरी रकअ़त में पाँच बार तक्बीर ज़वायद है तथा पहली रकअ़त में सूरह अअ़ला या सूरह क़ाफ़ और दूसरी रकअत में सूरह ग़ाशियह या सूरह इक़्तरबत,, पढ़ना सुन्नत है (सही सुनन इब्ने माजह-1063)

12- दोनों ईद का खुत्बह ईद की सलात के बाद होगा,इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि : मैं गवाही देता हूँ कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद में हाज़िर हुवा तो आप सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने पहले सलात अदा की फिर खुत्बह दिया-सही सुनन नसई -1568–

13- दोनों ईद में केवल एक खुत्बह देना सुन्नत है | तथा ईद का खुत्बह सुनना सुन्नत है अनिवार्य नहीं,अब्दुल्लाह बिन साइब बयान करते हैं किः(नबी सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने ईद की सलात पढ़ाई और फरमायाः जो जाना चाहे जा सकता है और जो रुकना चाहे रुक सकता है |(सही सुनन नसई-1570)

14- ईद का खुत्बह देने वाले के लिए धर्म अनुसार बनाव सिंगार करना,अच्छे से अच्छा कपडे पहनना सुन्नत है | अबू रमसह रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम को खुत्बह देते हुए देखा आप के मुबारक शरीर पर दो हरी चादरें थीं (सही सुनन नसई-1571)

15- इमाम को दोनों ईद का खुत्बह खड़े हो कर लोगों की ओर मुन्ह करके देना चाहिए,इसी प्रकार ज़रूरत के समय किसी आदमी पर टेक भी लगा सकता है। खुत्बह में सब से पहले अल्लाह की परशंसा रसूल पर दरूद फिर लोगों को दीन की बात बताये , अल्लाह तथा उसके रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम की अनुसरण करने का शौक़ दिलाये अतः विशेष रूप से महिलाओं को भी सम्बोधित करे उन्हें अल्लाह से डरने, अल्लाह एवं रसूल की अनुसरण करने पर उभारते हुये दान एवं खैरात करने पर उभारे । (सही सुनन नसई-1573-1574-157)

16- अगर ईद का दिन जुमा के दिन पड़ जाये तो जुमा के बारे में इजाज़त है चाहे जुमा की सलात पढ़े या न पढ़े (सही सुनन नसई-1590)
हाँ अगर जुमा की सलात नहीं पढ़ी है तो जुहर की सलात चार रकअ़त पढ़ना ज़रूरी है और अगर कोई मुतअय्यन (नियुक्त)खतीब है तो उसे खुत्बह देना होगा सिवाये इसके कि कोई भी जुमा की सलात पढ़ने न आये|

17- ईद के लिए एक मार्ग से जाना तथा दूसरे मार्ग से वापस आना सुन्नत है । (सही सुनन नसई-1082)

18- ईद से वापसी के बाद घर में दो रकअत सलात पढ़ना सुन्नत है,अबू सईद खुदरी बयान करते हैं किः (रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले कोई सलात नहीं पढ़ते थे और जब घर वापस आते तो दो रकअत सालत पढ़ते । (सही सुनन इब्ने माजाह-1293)

19- ईद की मुबारक बादी देना उचित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी एक दूसरे को तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका(अल्लाह पाक हमारी तथा तुम्हारी उपासना स्वीकार करे) कहा करते थे ।(फ़तहुल बारी भागः 2 पेज 446)

20- अगर किसी गाँव के बासी केवल तीन मुसलमान हों तो उन लोगों को ईद की सलातपढ़नी चाहिये ।(शरहुल मुमतअ-इब्ने उसैमीन-भागः 5 पेज170)

21- यात्री के लिए ईद की सलात नहीं है क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कह विजय

करते समय मक्कह पधारे तथा एक शव्वाल तक वहाँ रहे प्रन्तु आप ने ईद की सलात नहीं पढ़ी क्यों कि आप यात्री थे। (मुग़नी भाग : 3 पेज 287)

22- अगर किसी की ईद की सलात छूट जाए तो ईद की सलात के प्रकार दो रकअत पढ़ सकता है क्यों कि इमाम बुखारी रहेमहुल्लाहु ने मुअल्लक़ हदीस बयान किया है कि (अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सेवक इब्ने अबी उत्बह को ज़ावियह (जो बसरह देश से दो कोस दूरी पर था) में आदेश दिया तो उन्हों ने अपने घर वालों को जमा किया तथा नागरिकियों को ईद की सलात के प्रकार ईद की सलात पढ़ाई) (सही बुखारी)

ईद की ग़लतिया !

हर मुसलमाान को अल्लाह पाक की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने सारे धार्मिक कामों में मात्र अल्लाह पाक तथा उसके अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञापालन करे प्रन्तु कुछ लोगों ने अपनी ओर से बहुत कुछ गढ़ लिया तथा उसे धर्म समझ कर करने लगे इसी कारण उचित होगा कि हम कुछ

ऐसे कामों को भी बता दें जो लोग ईद में करते हैं जबकि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित एवं साबित नहीं है |

1- ईद की पूरी रात ईबादत तथा उपासना में बिताना | इस का कारण कुछ ज़ईफ हदीसें हैं |

जैसे यह हदीस कि (जिसने अल्लाह पाक के लिये सवाब चाहते हुए दोनों ईद की रातों को तहज्जुद पढ़ा तो उसका दिल उस दिन मुर्दह नहीं होगा जिस दिन सारे दिल मुरदह होजायेंगे) (यह हदीस जअ़ीफ है,देखें ज़अ़ीफुल् जामिअ़-अल्बानी -5742)

चुनांचे सारी रातों में से दोनों ईदों की रातों को इबादत के लिये जागने की कोई सही हदीस नही है,हाँ अगर कोई तहज्जुद की सलात रोजाना पढ़ता है तो इन रातों मे भी पढ़ सकता है मगर केवल दोनों ईदों की रातों में तहज्जुद पढ़ना या कोई खास इबादत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है|

2- दिन तथा रात के पाँच समय की सलात छोड़ कर केवल ईद की सलात का एहतिमाम करना बे मुनासिब बात है जबकि बहुत सारे मुसलमान

केवल जुमा और ईद की सलात ही पढ़ते है, यह बहुत बड़ा गुनाह तथा पाप है बल्कि बहुत सारे उलमा ने ऐसे आदमी को काफिर कहा है|

3- ईद के दिन ईद की सलात के बाद मुर्दों की ज़ियारत के लिये क़ब्रस्तान जाना बिदअ़त है क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबए किराम से साबित नहीं है जबकि सहाबा हर भलाई के कामों के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे |

4- लोगों का एक ही समय तथा एक आवाज़ ,एक लय में ईद की तक्बीर कहना हदीस से साबित नहीं है,इसी लिए इसे उलमाएकिराम ने ईद की बिदअ़तों मे गिना है,हर आदमी अकेले अकेले खुद तक्बीर कहे, लोगों के साथ एक आवाज़ में न कहे क्योंकि ऐसा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा सहाबा से साबित नहीं है |

5 - ईद के दिन औरतों और बच्चों को ईदगाह न लेजाना | जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर देकर इन्हें ले जाने का

आदेश दिया है, यहाँ तक कि अगर औरतें हैज़ यानी माहवारी में हों तब भी, वह ईद की सालात नहीं पढ़ेंगी केवल मुसलमानों की दुआ़ में भागीदार रहेंगी। हाँ जरूरी है कि औरत इस्लामी परदे के साथ ईदगाह जाये और उनके लिए ईदगाह में अलग बैठने के लिये प्रबन्ध किया जाये|

अल्लाह तआ़ला सभी मुसलमानों को इस्लाम की समझ दे,और अपने ईमान तथा अ़मल के बचाव का अवसर दे , आमीन।

6- फिल्म, नाच गाने की महफिल सजाना,दाढ़ी छीलना, कपड़े में काफिरों,या मरदों का औरतों,या औरतों का मरदों की मुशाबहत तथा अनुरूपता करना,औरतों का घरों से बे परदा या ग़ैर मुहरिमों के संग निकलना,या उनके संग अकेले में होना,खाने पीने,पहनने में बेजा खरच करना,इस दिन कंगालों का ध्यान न रखना,नाते दारों से न मिलना आदि से बचना ज़रूरी है।

अल्लाह पाक हमें हर पाप तथा धर्म की प्रत्येक मुखालिफ़त से बचाए और नेक बानए। आमीन

सौम(रोज़े) की गलतिया :

अल्लाह पाक ने सौम(रोज़े) को इस लिए अनिवार्य किया है ताकि रोज़े रखने वाले के दिल में अल्लाह का संयम तथा डर पैदा हो,उसका दिल प्रत्येक पाप से पवित्र हो जाये,उसके अखलाक एवं नैतिकता ठीकठाक हो जायें | अतः रोज़ह जितना ही शरई अहकाम के अनुसार होगा उतना ही उसका लाभ तथा फल अधिक होगा, प्रन्तु बहुत से रोज़े रखने वालों के रोज़े के आदाब पर ध्यान ना देने के कारण कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनसे उनके सवाब में कमी आजाती है | हम निम्न में कुछ ऐसी गलतियाँ लिख रहे हैं जिन से बचना चाहिये |

1- कुछ लोग रमज़ान की फज़ीलतों(प्रमुखताओं) तथा मसायल के ना जानने के कारण इस महीने का इस्तिकबा(स्वागत) भी अन्य महीने के प्रकार करते है ,तथा कुछ लोग इस महीने के आने से पहले खाने पीने के सामानों की तय्यारी में लग जाते है जब कि हमें अल्लाह की फरमाँबरदारी की तय्यारी में लगना चाहिये ,अपने सभी पापों से

सच्ची तौबह यानी क्षमायाचना करके कंगालों तथा गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिये। अतः इखलास और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत अनुसार वह सभी इबादतें करने में पूरी मेहनत करनी चाहिये जिन से अल्लाह खुश होता है

2- रमज़ान के महीने से खुश होने के बजाये जल्द इसके समाप्त होने की आशा करना और अल्लाह की इताअत की मिठास को न महसूस करना,यहाँ तक कि कुछ लोग केवल अपने पास पडोस के रोजा रखने के कारण रोजा रखते हैं अतः ऐसा करने वाला अपने आप को इस महीने के लाभ से वंचित और महरूम रखता है।

3- सौम(रोज़े) के अहकाम व मसायल के जानने की कोशिश न करना.और न ही किसी से पूछना। निःसंदेह रमज़ान का सौम(रोज़ा)फ़र्ज़ एवं अनिवार्य है अतः एक महान उपासना तथा इबादत भी। इस लिए प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य तथा वाजिब है कि वे सही तरीक़े से रोजा रखना सीखें और रोजे के अरकान (आधार)वाजिबात, सुन्नतें,

किन किन चीज़ों से रोजा टूट जाता है या उसका सवाब कम हो जाता है अच्छे प्रकार से जानें ।

4- सौम(रोज़े) की हालत में पाप तथा गुनाह के कामों से ना बचना,अतः बहुत से रोज़े रखने वाले जान बूझ कर खाने,पीने,पत्नी से हमबिस्तरी या अन्य उन चीज़ों से बचते हैं जिन से रोजा टूट जाता है प्रन्तु ग़ीबत,चुग़ली,झूट बोलने झूट पर चलने,गाली गुलूज,लअ़न तअ़न (आकोश)तथा हराम चोज़ों के देखने या सुनने आदि से नहीं बचते जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया हैः जो झूट बोलना और उस पर चलना न छोड़े तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वह अपना खाना पीना छोड़े । (सही बुखारी)

5- जान बूझ कर तथा अदा करने की ताक़त रखने के बावजूद कुछ सुन्नतों को छोड़ देना यह सोच कर कि रोजे की हालत में साबित नहीं है जैसे ज़वाल(सूर्यढ़ल्ने) के बाद मिस्वाक ना करना,हलक़ में पानी जाने के डर से वुज़ करते समय नाक में पानी न चढ़ाना और न कुल्ली करना जबकि केवल ज़ोर से कुल्ली करने से रोका

गया है । और मिसवाक ज़वाल(सूर्यढ़ल्ने) से पहले तथा बाद में साबित है ।

6- बार बार थूकना,थूक निगलने से रोज़ा टूट जाने का गुमान करना जबकि थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता ।

7- फज्र से पहले या रात ही में । फर्ज़ रोज़ा की निय्यत ना करना,या नीयत के शब्द बोल कर (लफ़्ज़ी नीयत) करना , जैसे यह कहना कि मैं नीयत करता हूँ कल रोजा रखने की आदि । किसी भी इबादत की नीयत के शब्द अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है ।

8- केवल रमज़ान के महीने में अल्लाह को पहचानना तथा उसकी इबादत करना,और रमज़ान समाप्त होते ही पहली दीनी लापरवाही तथा पाप की ओर पलट जाना । ऐसा करने वाला रमज़ान से कोई लाभ न उठा सका क्योंकि जिस प्रकार रमज़ान का रब अल्लाह है उसी प्रकार सारे महीनों का रब अल्लाह है जिसका डर हमारे दिल में सदेव रहना चाहिये ।

9- पेट खाली होने के कारण बात बात पर गुस्सा होना.तैश में आना,अशुभ व्यवहार अपनाना, जब कि रोज़ह रोज़ेदार के व्यवहार की सुधार करता है । इसी प्रकार अपने बहुमूल्य समय को अधिक सोने,गपशप,खेल कूद तथा अन्य ऐसे कामों में खोना जिसका लाभ के बजाये पाप हो ।

10- शुरू रमज़ान में अल्लाह की इबादत, कुरआन की तिलावत,नफलें पढ़ने में चुसती तथा जैसे जैसे रमज़ान के दिन बीतते जायें सुसती तथा लापरवाही जबकि हमारे रसूल रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में अल्लाह की इबादत के लिए कमर कस लेते थे ।

सेहरी की गलतियाँ

सेहरी करना सुन्नत है अल्लाह के रसूल ने हमें इसका अदेश दिया है तथा अल्लाह पाक ने अच्छे फल देने का वादा किया है,प्रन्तु अधिकतर लोग इसमें कोताही करते है , और सेहरी के लाभ से महरूम रहते हैं ,जैसे :

1 - सेहरी न करना , यह सुन्नत के खेलाफ हैं , क्यों कि हमारे रसूल ने फरमाया है : सेहरी

करो,सेहरी करने में बरकत है I (बुखारी व मुस्लिम) और फरमायाः हमारे तथा यहूद व नसारा के रोज़े में अन्तर सेहरी खाना है I (सही मुस्लिम)

2- आधी रात या फज्र से एक दो घंटे पहले सेहरी कर लेना ऐसा करना सुन्नत के खेलाफ तथा विरुद्ध है I सुन्नत यह है कि फज्र होने से थोड़ा पहले सेहरी की जाए.नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सेहरी करने तथा फज्र की सलात शुरू करने में इतना समय रहता था कि एक आदमी पचास आयत पढ़ ले I इसी प्रकार फज्र उदय होने के बाद तक खाते पीते रहना जब्कि अज़ान समय से हो रही है निःसंदेह हमें अपने रोज़े में चेत से रहना चाहिये I या इतना अधिक खा लेना कि पूरे दिन डकार आये या शरीर भारी लगे I बल्कि हलका खाना चाहिये I

3- सेहरी करके सो जाना और फज्र की सलात जमाअ़त से न पढ़ना I

4- खाने के बाद की दुअ : **(अल्हमदु लिल्लाहिल्लज़ी अत्अ़मनी हाज़ा मिन ग़ैरि हौलिम् मिन्नी वला कुव्वह)** न पढ़ना I

इफ़्तारर की गलतियाँ

1- इफ़्तारर का समय होजाने के बाद भी इफ़्तारर न करना या अज़ान के खतम होने के बाद इफ़्तारर करना | जबकि हमारे रसूल ने इफ़्तारर करने में जल्दी करने का आदेश दिया है |

2- बिना बिस्मिल्लाह पढ़े इफ़्तारर करने में लग जाना तथा अज़ान का उत्तर न देना जब्कि हमारे रसूल ने फरमाया हैः जब अज़ान सुनो तो वैसे ही कहो जैसा अज़ान देने वाला कहता है | (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

हम खाते पीते भी रहें तथा अज़ान का जवाब भी देते रहें |

3- इफ़्तारर के समय दुआ़ न करना या इफ़्तार की दुआ़ न पढ़ना |

4- इफ़्तारर में बेजा खर्च या अनेक प्रकार की पकवान में घर की औरतों का अस्र से पहले ही लगजाना तथा अन्य इबादतों को भूल जाना आदि |

कियामुल्लैल की गलतियाँ!

रमज़ान का महीना विशेष रूप से अल्लाह की इताअ़त,आज्ञापलन तथा उस से क़रीब होने का

महीना है,अधिक से अधिक नेक कर्म करने तथा नेकियाँ बटोरने का महीना है। इस महीने में रात को खड़े होकर अल्लाह की इबादत करना नबी की सुन्नत है जिसे क़ियामुल्लैल या तरावीह़ या तहज्जुद कहते है। इसके बारे में बहुत से लोग कुछ लापरवाही करते हैं जैसे :

1- सुन्नत या नफ़ल समझ कर तरावीह की नमाज़ पढ़ने में सुसती. जबकि अधिक्तर लोग अपने बहुमूल्य समय को अन्य ऐसे कामों में गवाँ देते हैं जिनका कोई लाभ नहीं बल्कि हानि है। यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ लोग मस्जिद के बाहर खड़े हो कर.या घर में जाकर गप शप में लग जाते हैं प्रन्तु तरावीह नहीं पढ़ते। हमें तरावीह की नमाज़ जमाअ़त के साथ उतना पढ़ना चाहिये जितना इमाम पढ़ाता है ताकि पूरी रात क़ियामुल्लैल का सवाब और फल मिले।

2- कुछ इमाम तरावीह की नमाज़ पढ़ाने में इतनी जलदी करते है कि नमाज़ का मक़सद ही खो जाता है अतः न रुकूअ़ ठीक से करते और न सजदह,सुकून व इतमेनान बिल्कुल नहीं.क़ुरआन

की तिलावत इतनी तेज़ी से करते हैं कि यअ़लमून,तअ़लमून के सिवाय कुछ पता नही चलता ,केवल रकाअ़त की गिन्ती पूरी करते हैं या किसी प्रकार कुरआन खतम कर लेते हैं,जब्कि ऐसा करना गलत है नमाज़ में सुकून व इतमिनान रुक्न है |

3- ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से लोग इमाम से पहले रुकूअ़ में चले जाते या रुकूअ़ से सिर उठा लेते,ऐसे ही सज्दह में भी , जबकि यह सब इमाम के बाद करना चाहिये | अल्लाह के रसूल ने फरमाया : जब तुम में से कोई इमाम से पहले अपना सिर उठाता है तो अल्लाह से नहीं डरता कि वह उसका सिर गधे का सिर बना दे या उसका चेहरा गधे का चेहरा बना दे |

4- तरावीह़ की नमाज़ में इमाम के पीछे हाथ में कुरआन लेकर इमाम के साथ पढ़ना |

5- कुनूत की लम्बी लम्बी दुआ़एं पढ़ना,उसमें बनावट करना,ऐसी दुआ़एं पढ़ना जो रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित नहीं है,चीख चीख कर दुआ़ करना अदि जब्कि आप सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम जामेअ़ दुआ़ पसन्द करते थे। तथा इमाम को उतनी ही आवाज़ तेज़करनी चाहिये जितनी पीछे वाले सुन लें क्योंकि एक बार सहाबा ने अल्लाहुअक्बर जोर से कहा तो आपने फरमायाः हे लोगो अपने ऊपर दया करो यानी अपनी आवाज़ धीमी करो तुम गूँगे,बहरे,गायब को नहीं पुकारते हो। (मुत्तफ़क़ अ़लैह)

6- दुआ़ में चीखना तथा तेज़ तेज़ आवाज़ से रोना जिस से नमाज़ पढ़ने वालों को परेशानी हो,कुरआन पढ़ते या सुनते समय रोना चाहिये प्रन्तु धीरे से बिना तेज़ आवाज़ के और जितना हो सके आवाज़ छिपाना चाहिये ताकि देखावे से दूर रहें।

7- रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का एहतिमाम ना करना तथा इन मुबारक समय को खो देना।

8- बहुत से लोग जिनकी रमज़ान में इशा की नमाज़ जमाअ़त से छूट जाती है वह बाद में आते है तथा तरावीह की नमाज़ चल रही होती है और वह दूसरी जमाअ़त बना के पढ़ने लगते हैं जब्कि एक मस्जिद में एक ही समय में दो जमाअत बनाने से रोका गया है उन्हें चाहिये कि इशा की निय्यत से

तरावीह की नमाज़ में मिल जायें जितना इमाम के साथ पायें पढ़ लें और इमाम के सलाम फेरते समय सलाम ना फेरें अपनी चार रकाअ़त पूरी कर के फेरें।

9- तरावी या कोई नमाज़ बिना खुशूअ़ व खुज़ूअ़ के लापरवाही से पढ़ना। आप ने देखा होगा कि नमाज़ में खड़े हैं तथा दिल दिमाग़ कहीं और है या ऊँघ रहे हैं बस किसी प्रकार गिन्ती पूरी हो जाये ऐसी नमाज का कोई लाभ ना होगा।

9- शबीना करना। यह अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है।

कुरआन की तेलावत में लापरवाही :

कुरआन की अज़ामात तथा हुकूक़ पर ध्यान न देना केवल जल्दी जल्दी तेलावत करके खतम कर लेना, उसके अर्थ पर ध्यान न देना। या उसकी तेलावत न करना। या मस्जिद में तेज़ आवाज़ में इस प्रकार तेलावत करना की दूसरे नमाज़ पढ़ने वाले को परेशानी हो, तेलावत करते समय रुक कर दूसरे कामों तथा ग़ैर जरूरी बातों में लग जाना, तेलावत

के आदाब पर ध्यान ना देना ,अपने परिवार को कुरआन की तेलावत पर न उभारना आदि I

रमज़ान में औरतों की गलतियाँ :

अल्लाह ने मरदों(पुरुषों) के प्रकार औरतों को भी रमज़ान के महीने को बहुमूल्य तथा गनीमत समझने का हुक्म दिया है प्रन्तु अधिक्तर महिलायें इस महीने को अन्य महीने के प्रकार बिता देतीं हैं,अतः नाना प्रकार की गलतियाँ भी करती हैं हम चेतावनी के लिए निम्न में उनकी कुछ ग़लतियाँ लिख रहे हैं !

1- नाना प्रकार के पकवान पकाने में बहुमूल्य तथा क़ीमती समय खो देना तथा कुरआन की तेलावत, ज़िक व अज़कार और अल्लाह की इबादत में लापरवाही I

2- कुछ औरतों का जमा हो कर ग़ीबत. चुग़ली. फिल्म देखना या अधिक्तर समय सोने में बिता देना या बाज़ारों में घूमना टहलना नेट तथा मुबाइल में बेकार समया बरबाद करना,अन्य महीने के प्रकार रमज़ान को बिताना आदि I

3- बिना शरई उज़ुर(कारण) के घर में रोज़ह ना रखने वालों को खाना बना कर देना, तथा अपने बच्चों को रोज़े रखने की आदत न डालना और उन्हें नेकियों पर न उभारना।

4- माहवारी या निफास(प्रसव रक्तःबच्चे की पैदाइश से एक, दो दिन पहले या पैदाइश के बाद लग भग चालीस दिन या उससे कम जो महिला को खून आता है) में ज़िक्र व अज़कार तथा दुआऐं न करना जबकि इस में केवल नमाज़, रोज़ह.कुरआन की तेलावत, कअ्बा का तावफ, हमबिस्तरी मना है प्रन्तु दुआऐं जैसे दरूद शरीफ, इस्तिग़फार.ज़बानी कुरआन की तेलावत, दीनी किताबें पढ़ना वगैरह मना नहीं है।

5- इसतेहाज़ह : (जिसे माहवारी की खराबी कहा जाता है) में नमाज़ रोज़ न रखना जब कि ऐसी महिला पाक महिला के प्रकार है।

6- बन सज कर, खुशबू लगा कर बाज़ार या मस्जिद जाना जब्कि किसी प्रकार की खुशबू लगा कर जो दूसरे की नाक तक पहुँचे घर से निकलने वाली औरत को ज़नाकार कहा गया है (मुस्नद

अहमद) या मस्जिद से निकलते समय मरदों तथा औरतों का मेल जोल ।

7- रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में ईद की तय्यारी में क़ीमती समय खो कर बाज़ार में या टेलरों के पास घूमना । जबकि यह सब काम पहले ही कर लेना चाहिये ।

8- रमज़ान की रातों में अपने पति के वाजिब हक ना अदा करना ।

अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें रमज़ान के महीने का आदर तथा इसमें हर वह इबादत करने की तौफीक़ दे जिन्हें वह पसन्द करता है तथा प्रत्येक छोटे बड़े पाप से बचाए और रमज़ान के रोज़ों का छाप हमारी पूरी जीवन पर बाक़ी रखे , आमीन ।

आपका अपना
अताउर्रहमान पुत्र अबदुल्लाह सईदी
हरहटा,तुलसीपुर,जिला : बलरामपुर,यु.पी. 271208
आवाहक : इस्लामिक सेंटर अहसा,होफूफ
सऊदी अरब
ataurrahmansayeidi@gmail.com
youtube: ata sayeidi

विषय सूची محتويات الكتاب